INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान SI

उपनिरीक्षक / प्लाटून कमांडर

भाग – 3

भूगोल + राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था (राजस्थान)

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**राजस्थान उपनिरीक्षक (SI / प्लाटून कमांडर)** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"राजस्थान उपनिरीक्षक (SI / प्लाटून कमांडर)" की** परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784, 8887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/c37ssj

Online Order करें - https://shorturl.at/mpOV7

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2024)

क्र.	अध्याय	पेज
	राजस्थान का भूगोल	
1.	सामान्य परिचय	1
2.	भौतिक प्रदेश	20
3.	नदियाँ एवं झीलें	31
4.	राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाएँ	50
5.	राजस्थान की जलवायु	56
6.	मृदा संसाधन	66
7.	वन संपदा एवं वन्य जीव अभ्यारण्य	71
8.	राजस्थान में कृषि	80
9.	राजस्थान में खनिज संसाधन	87
10.	जनसंख्या - वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात	96
11.	प्रमुख उद्योग	102
12.	जैव विविधता एवं इनका संरक्षण	105
	राजस्थान की राजव्यवस्था	
1.	राज्यपाल	110
2.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	116
3.	राज्य विधान सभा	122
4.	उच्च न्यायालय	129
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	136
6.	राजस्थान में जिला प्रशासन	137
7.	राज्य मानवाधिकार आयोग	141
8.	लोकायुक्त	142

9.	राज्य निर्वाचन आयोग	144
10.	राज्य सूचना आयोग	146
11.	लोकनीति	148
12.	विधि की अवधारणा	150
13.	नागरिक अधिकार – पत्र घोषणापत्र	154
14.	महिला एवं बाल अपराध	156

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1.	अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य	165
2.	राजस्थान कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दे	179
3.	राजस्थान में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र	184
4.	अभिवृद्धि, विकास एवं नियोजन	193
5.	गरीबी एवं बेरोजगारी	197
6.	विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ	204

राजस्थान का भूगोल

अध्याय – 1

सामान्य परिचय

प्रिय छात्रों, राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे-

1. सामान्य परिचय

2. भौतिक स्वरूप

1. सामान्य परिचय -

प्रिय छात्रों, सामान्य परिचय के अंतर्गत हम राजस्थान के निम्न विषयों को विस्तार से समझेंगे-

(क) राजस्थान शब्द का उल्लेख
(ख) राजस्थान की स्थिति
(ग) राजस्थान का विस्तार
(घ) राजस्थान का आकार
(ङ) राजस्थान की आकृति

2. भौतिक स्वरूप -

इसी प्रकार भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम निम्न विषयों को विस्तार से समझेंगे –

(क) पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश
(ख) अरावली पर्वतीय प्रदेश
(ग) पूर्वी मैदानी प्रदेश
(घ) दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश

1. राजस्थान का परिचय

राजस्थान शब्द का अर्थ :- राजाओं का स्थान

(क) राजस्थान शब्द का उल्लेख :-

- राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख राजस्थानी साहित्य विक्रम संवत 682 ई. में उत्कीर्ण बसंतगढ़ (सिरोही जिला) के शिलालेख में मिलता है।
- मारवाड़ इतिहास के प्रसिद्ध लेखक **"मुहणोत नैणसी"** ने भी अपनी पुस्तक "नैणसी री ख्यात" में भी **राजस्थान शब्द का प्रयोग** किया है, लेकिन इस पुस्तक में यह शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र के लिए "मरुकान्तार" शब्द का उल्लेख किया है।

जॉर्ज थॉमस पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सन् 1800 ई. में इस भौगोलिक क्षेत्र को **"राजपूताना"** शब्द कहकर पुकारा था। इस तथ्य का वर्णन विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक "मिलिट्री मेमोरीज ऑफ़ मिस्टर थॉमस" में किया है।

जॉर्ज थॉमस का परिचय :-

- जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड के सैनिक थे, जो कि 18 वीं. सदी में भारत आए और 1798 से 1801 तक भारत में एक छोटे से क्षेत्र (हिसार-हरियाणा) के राजा रहे।
- इन्होंने राजस्थान को "राजपूताना" शब्द इसलिए कहा क्योंकि मध्यकाल एवं पूर्व आधुनिक काल में राजस्थान में अधिकांश राजपूत राजवंशों का शासन् था। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को "राजपूताना" कहा जाता था।

विलियम फ्रैंकलिन :-

- विलियम फ्रैंकलीन मूल रूप से लंदन के निवासी थे। यह जॉर्ज थॉमस के घनिष्ट मित्र थे। उन्होंने 1805 ई. में जॉर्ज थॉमस के ऊपर "A Military Memories of George Thomas" नामक पुस्तक लिखी थी।
- अकबर के नवरत्नों में से एक मध्यकालीन इतिहासकार **"अबुल फजल"** ने इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए **"मरुभूमि"** शब्द का प्रयोग किया है।
- 1829 ईस्वी में **"कर्नल जेम्स टॉड"** ने अपनी पुस्तक **"एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान"** में सर्वप्रथम राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा" या राजस्थान का नाम दिया था।

कर्नल जेम्स टॉड :-

- कर्नल जेम्स टॉड 1818 से 1822 के मध्य मेवाड़ (उदयपुर) प्रांत में एक पॉलिटिकल (राजनीतिक) एजेंट थे तथा कुछ समय तक मारवाड़ रियासत के ब्रिटिश एजेंट भी रहे।
- कर्नल जेम्स टॉड ब्रिटेन के मूल निवासी थे, उन्होंने अपने घोड़े पर घूम - घूम कर राजस्थान के इतिहास लेखन का कार्य किया इसलिए इन्हें **घोड़े वाले बाबा** के नाम से भी जाना जाता है।
- कर्नल जेम्स टॉड को **"राजस्थान के इतिहास का पितामह"** कहा जाता है।
- कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान" को "सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया" के नामक से भी जानते हैं
- इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार "गौरीशंकर –हीराचंद ओझा" ने किया था। इसे हिंदी में "प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण" कहते है।
- कर्नल टॉड सर्वेक्षण के सिलसिले में अजमेर और उदयपुर में कई जगह पर रहे थे- उनमें भीम नामक कस्बे में छोटा सा गाँव बोरसवाडा भी था- जो जंगलों और अरावली-पहाड़ों से घिरा हुआ है।
- उन्हें यह जगह पसंद आई तो उदयपुर के महाराजा भीम सिंह की सहमति से स्वयं के लिए बोरसवाडा में एक छोटा सा किला बनवा लिया।
- महाराज भीम सिंह ने कर्नल की सेवाओं से प्रभावित होकर गाँव का नाम टॉडगढ़ रख दिया, जो कालान्तर में टाडगढ़ कहलाने लगा। टाडगढ़ आज अजमेर जिले की एक तहसील का मुख्यालय है।

- कर्नल टॉड के किले में वर्तमान में सरकारी स्कूल चलता है

(ख) राजस्थान की स्थिति:- प्रिय छात्रों, राजस्थान की स्थिति को हम सर्वप्रथम पृथ्वी पर तत्पश्चात एशिया में और फिर भारत में देखेंगे।

(I) राजस्थान की स्थिति "पृथ्वी" पर: - पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति को समझने से पहले निम्नलिखित अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को समझना होगा –

(क) अंगारा लैंड / यूरेशियल प्लेट

(ख) गोंडवाना लैंड प्लेट

(ग) टेथिस सागर

(घ) पेंजिया

(ङ) पेंथालासा

नोट:- प्रिय छात्रों, कृपया ध्यान दें कि – आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी दो भागों में विभाजित थी।

1. स्थल
2. जल

- जैसा कि आज भी दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान में यदि हम स्थल मंडल को देखें तो हमें यह कई भागों में विभाजित दिखाई देता है, जैसे सात महाद्वीप अलग - अलग हैं।
- उनके भी कई देश एक - दूसरे से काफी अलग अलग है। लेकिन लाखों – करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण स्थलमंडल सिर्फ एक ही था।
- इसी **स्थलीय क्षेत्र को "पेंजिया"** के नाम से जानते थे तथा शेष बचे हुए भाग को **(जल वाले क्षेत्र को) "पेंथालासा"** के नाम से जानते थे।
- नीचे दिए गए मानचित्र से समझने की कोशिश कीजिए-

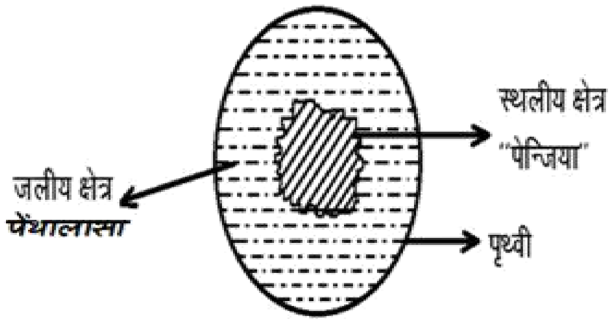

- प्रिय छात्रों, पृथ्वी परिक्रमण एवं परिभ्रमण गति करती है अर्थात् अपने स्थान पर भी (1 दिन में) घूमती है, और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी की इस गति की वजह से स्थल मंडल की प्लेटों में हलचल होने की वजह से पेंजिया (स्थलीय क्षेत्र) दो भागों में विभाजित हो गया जिसके उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। इस **स्थलीय क्षेत्र को "अंगारा लैंड / यूरेशियन प्लेट"** के नाम से जानते है। इसके दूसरे भाग (दक्षिणी) में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, इस क्षेत्र को **"गोंडवाना लैंड"** 'प्लेट' के नाम से जानते है।
- दोनों प्लेटों के बीच में विशाल सागर था जिसे "टेथिस सागर" के नाम से जानते थे।
- इसको नीचे दिए गए मानचित्र की सहायता से समझते हैं-

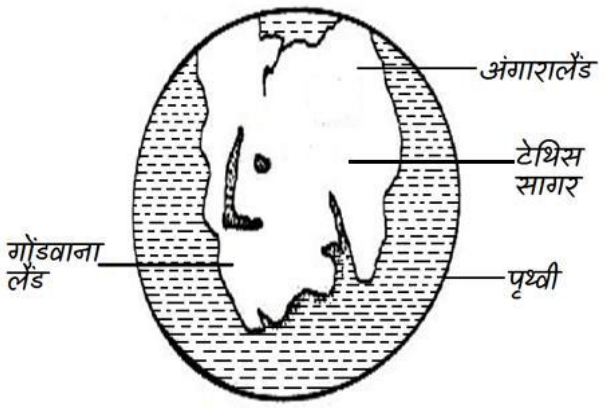

विशेष नोट:- राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें "टेथिस सागर" के अवशेष है तथा राजस्थान का मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र (अरावली पर्वतमाला) एवं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग "गोंडवाना लैंड" प्लेट के हिस्से है।

टेथिस सागर- टेथिस सागर को गोंडवाना लैंड प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है जो कि एक छिछला और संकरा सागर था, और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरुप अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय और आल्प्स जैसे महान पहाड़ों की रचना हुई है।

प्रिय छात्रों, अब तक हम अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, पेंजिया तथा पेंथाल्जा का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर चुके है। अब हम **पृथ्वी पर राजस्थान की** स्थिति, का अध्ययन करते है। नीचे दिए गए मानचित्रों को ध्यान से समझिए-

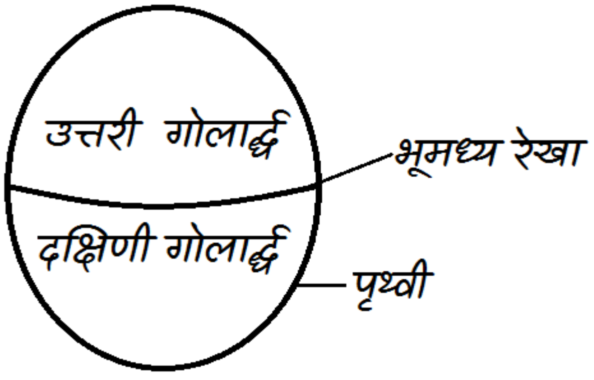

मानचित्र – I

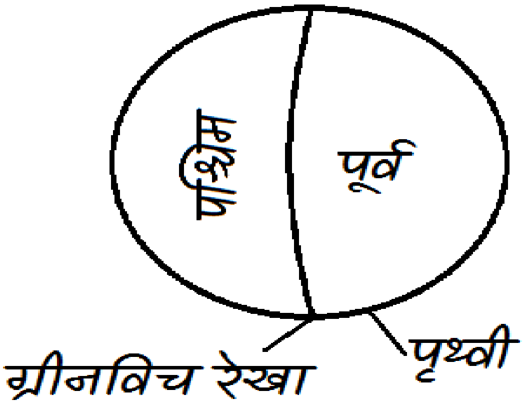
पश्चिम
पूर्व
ग्रीनविच रेखा
पृथ्वी

मानचित्र – 2

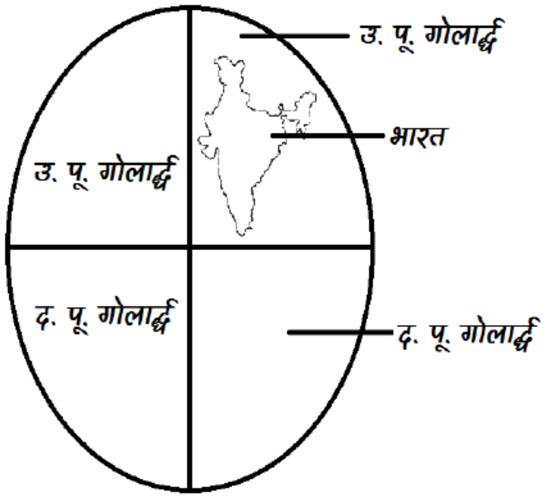
उ. पू. गोलार्द्ध
भारत
उ. पू. गोलार्द्ध
द. पू. गोलार्द्ध
द. पू. गोलार्द्ध

मानचित्र – 3

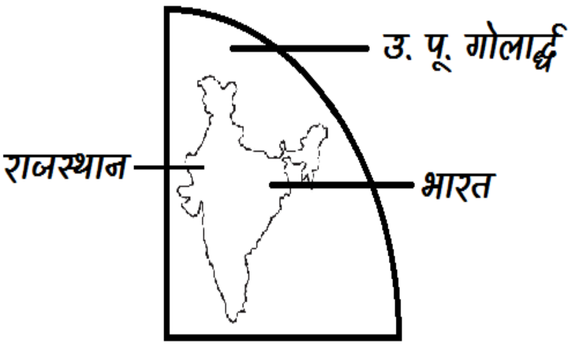
उ. पू. गोलार्द्ध
राजस्थान
भारत

मानचित्र – 4

प्रिय छात्रों ऊपर दिए गए मानचित्र के बारे में एक बार समझते हैं।

- **पृथ्वी को भूमध्य रेखा** (विषुवत रेखा) से दो **भागों में** विभाजित किया गया है –

1. उत्तरी गोलार्द्ध
2. दक्षिणी गोलार्द्ध

इसे आप मानचित्र – 1 के माध्यम से समझ सकते हैं।

इसी प्रकार ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है-

1. पूर्वी क्षेत्र
2. पश्चिमी क्षेत्र

जिसे आप मानचित्र – 2 में देख सकते है।

नोट :-

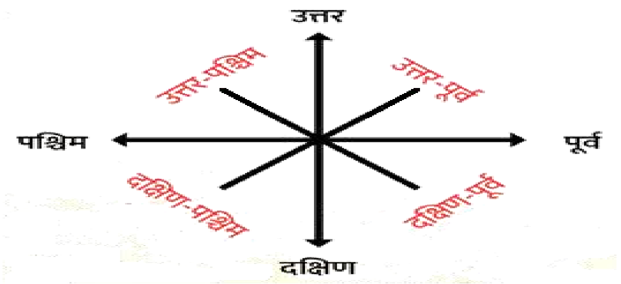
उत्तर
उत्तर-पश्चिम
उत्तर-पूर्व
पश्चिम
पूर्व
दक्षिण-पश्चिम
दक्षिण-पूर्व
दक्षिण

1. विश्व (अर्थात् **पृथ्वी पर**) में राजस्थान **"उत्तर - पूर्व"** दिशा में स्थित है। (देखे मानचित्र- 3)
2. एशिया महाद्वीप में राजस्थान **"दक्षिणी -पश्चिम"** दिशा में स्थित है। (देखिए मानचित्र – 3, 4)
3. **भारत में** राजस्थान **उत्तर - पश्चिम** में स्थित है। देखिए मानचित्र -4 (भारत)]

अब तक हमने देखा कि राजस्थान शब्द का उद्भव कैसे हुआ? तथा हम ने समझा कि पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति कहां पर है ? अब हम अपने अगले बिंदु "राजस्थान का विस्तार" के बारे में पढ़ते हैं -

राजस्थान का विस्तार :- इसका अध्ययन करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को समझिए-

1. भूमध्य रेखा (विषुवत रेखा)
2. कर्क रेखा
3. मकर रेखा
4. अक्षांश
5. देशांतर

इन मानचित्र को ध्यान से समझिए-

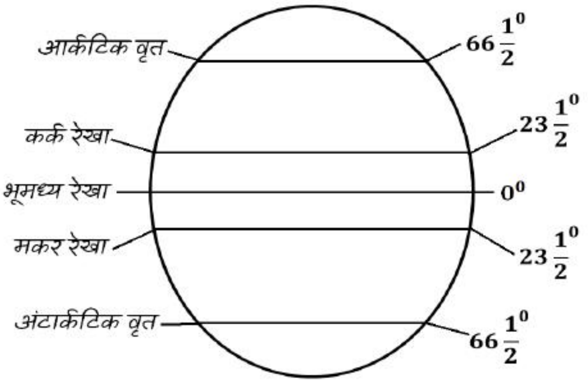
आर्कटिक वृत
कर्क रेखा
भूमध्य रेखा
मकर रेखा
अंटार्कटिक वृत
$66\frac{1}{2}^0$
$23\frac{1}{2}^0$
0^0
$23\frac{1}{2}^0$
$66\frac{1}{2}^0$

मानचित्र – 1

- जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है।
- 1 नवंबर 2000 से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का **सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश** था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग होने हो जाने पर भारत का **सबसे बड़ा राज्य** (क्षेत्रफल की दृष्टि से) राजस्थान बन गया।

2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 68,548,437 थी जो कि कुल देश की जनसंख्या का **5.67%** है।

➢ कर्क रेखा राजस्थान में स्थित:-

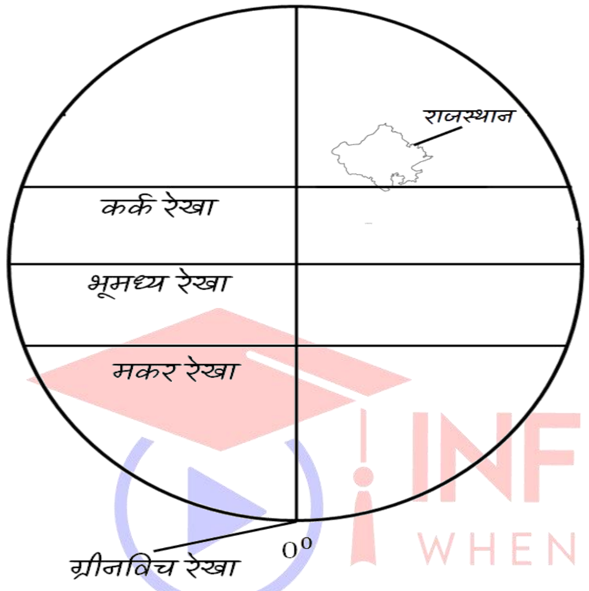

कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है-

1. गुजरात 2. राजस्थान 3. मध्यप्रदेश 4. छत्तीसगढ़ 5. झारखंड 6. पश्चिम बंगाल 7. त्रिपुरा 8. मिजोरम

राजस्थान में **कर्क रेखा बाँसवाड़ा** जिले के मध्य से **कुशलगढ़ तहसील** से गुजरती है इसके अलावा कर्क रेखा डूंगरपुर जिले को भी स्पर्श करती है अर्थात् **कुल दो जिलों से होकर गुजरती है ।**

राजस्थान में कर्क रेखा की कुल **लंबाई 26 किलोमीटर** है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है।

राजस्थान का कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीकी शहर बाँसवाड़ा है।

भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, अतः वहाँ पर तापमान अधिक होता है। जैसे - जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे - वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमान में कमी आती जाती है।

राजस्थान में **बाँसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी** पड़ती है जबकि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है।

कारण - बाँसवाड़ा सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है तथा श्रीगंगानगर सबसे उत्तर में स्थित है।

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य का सबसे गर्म जिला बाँसवाड़ा होना चाहिए एवं राज्य का सबसे ठंडा जिला श्रीगंगानगर होना चाहिए लेकिन वर्तमान में राज्य का **सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला चूरु** है। यह जिला सर्दियों में सबसे अधिक ठंडा एवं गर्मियों में सबसे अधिक गर्म रहता है । इसका कारण यहाँ पाई जाने वाली **रेत व जिप्सम** है ।

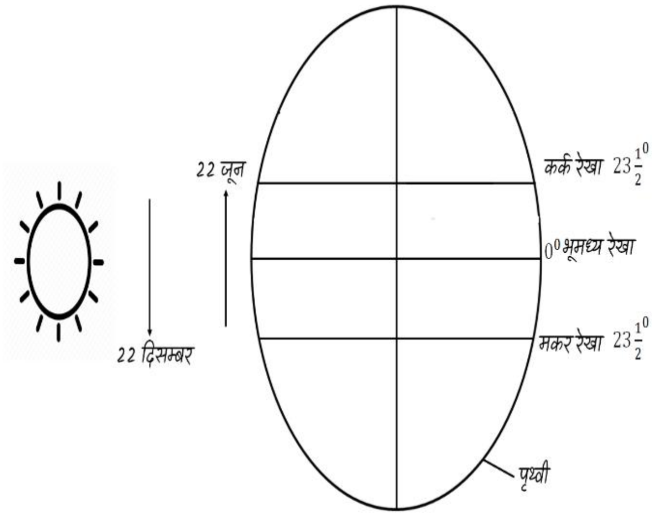

चित्र:- मानचित्र को ध्यान से समझिए

नोट - जैसे कि ऊपर दिए गए मानचित्र में समझाया है कि, सूर्य 21 जून को सीधा कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को सीधा मकर रेखा पर चमकता है।

- इसके अलावा सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है। अर्थात् 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे चमकने के बाद जुलाई से दिसंबर तक जैसे -जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे - वैसे सूर्य का सीधा प्रकाश मकर रेखा की ओर बढ़ता जाता है, फिर 22 दिसंबर तक मकर रेखा पर पहुंचने के बाद जनवरी, फरवरी से जून तक जैसे-जैसे समय बढ़ता है वैसे - वैसे सूर्य का सीधा प्रकाश कर्क रेखा की ओर बढ़ता है।

अर्थात् सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती है इस क्षेत्र को **उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते** है। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें ना पहुंचने के कारण वहाँ वर्ष भर बर्फ पाई जाती है।

पूर्वी देशांतरीय भाग सूर्य के सबसे पहले सामने आता है, इस कारण **सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त राजस्थान के पूर्वी भाग धौलपुर** में होता है, जब कि सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है। अतः जैसलमेर में सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है।

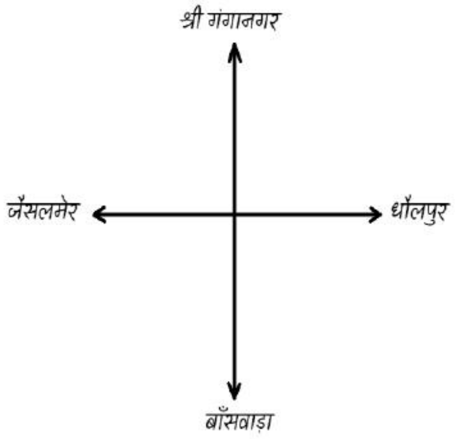
श्री गंगानगर
जैसलमेर
धौलपुर
बाँसवाड़ा

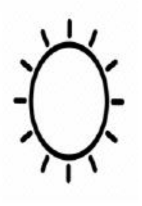

विस्तारः-

राजस्थान राज्य की **उत्तर से दक्षिण** तक की **कुल लंबाई 826 किलोमीटर** है तथा इसका विस्तार उत्तर में श्रीगंगानगर जिले के कोणा गाँव से दक्षिण में बाँसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गाँव तक है।

इसी प्रकार **पूर्व से पश्चिम तक** की **चौड़ाई 869 किलोमीटर** है तथा विस्तार पूर्व में धौलपुर जिले के जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलाना गाँव, राजाखेड़ा तहसील से पश्चिम में जैसलमेर जिले के कटरा गाँव (सम-तहसील) तक है।

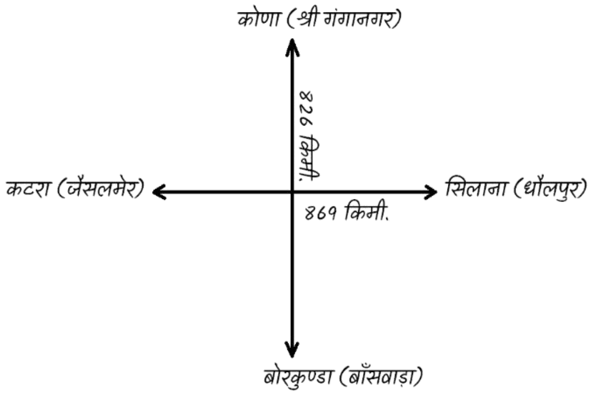
कोणा (श्री गंगानगर)
826 किमी.
कटरा (जैसलमेर)
सिलाना (धौलपुर)
869 किमी.
बोरकुण्डा (बाँसवाड़ा)

आकृति

विषम कोणीय चतुर्भुज या **पतंग** के आकार के समान है।

राज्य की स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर (1070 अंतर्राष्ट्रीय व 4850 अंतर्राज्यीय) है।

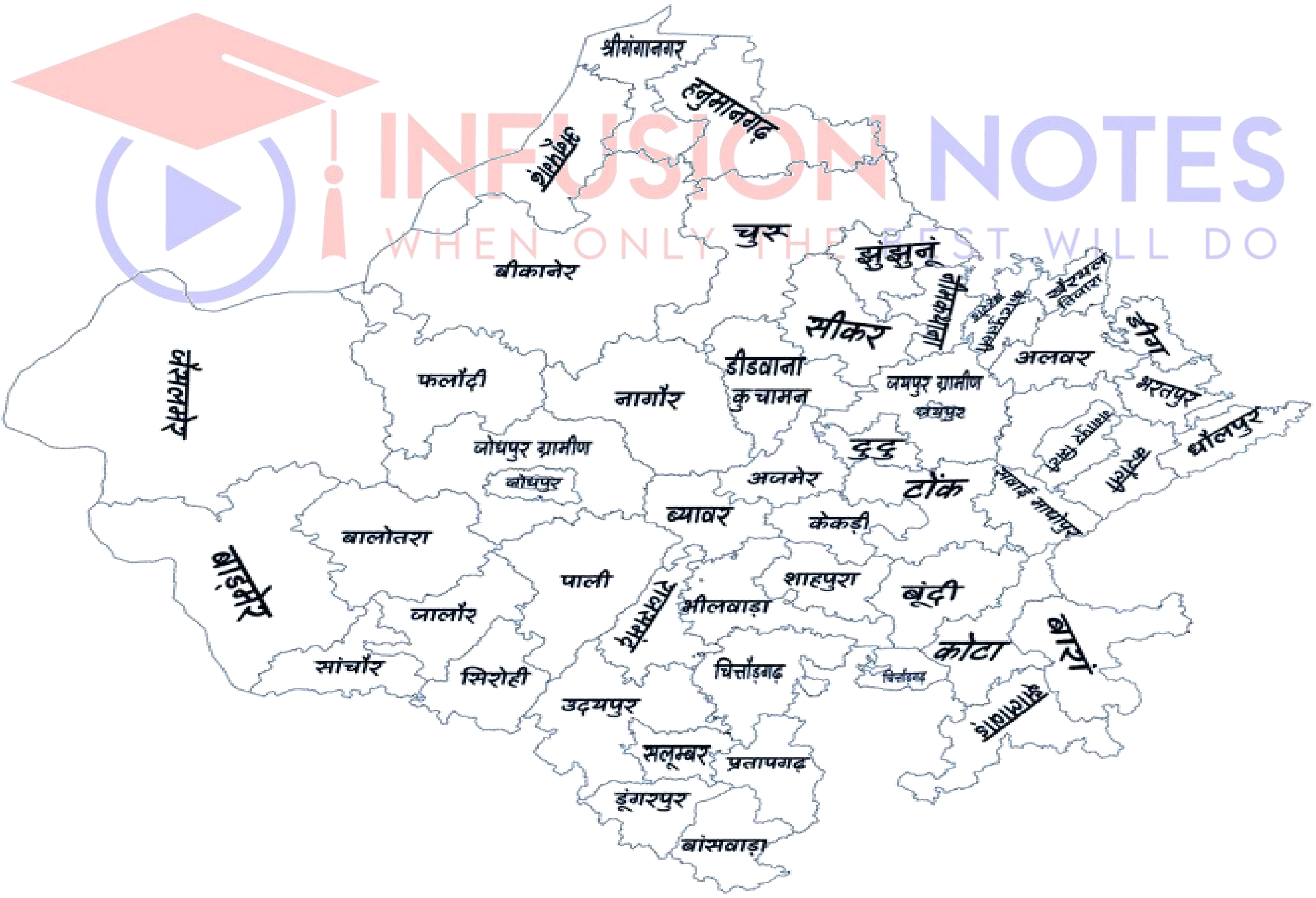
श्रीगंगानगर
हनुमानगढ़
अनूपगढ़
बीकानेर
चुरू
झुंझुनूं
नीमकाथाना
खैरथल तिजारा
डीग
सीकर
अलवर
भरतपुर
जैसलमेर
फलौदी
नागौर
डीडवाना कुचामन
जयपुर ग्रामीण
जयपुर
धौलपुर
जोधपुर ग्रामीण
जोधपुर
दूदू
गंगापुर सिटी
करौली
अजमेर
टोंक
सवाई माधोपुर
ब्यावर
केकड़ी
बालोतरा
बाड़मेर
पाली
शाहपुरा
बूंदी
राजसमंद
भीलवाड़ा
जालौर
सांचौर
सिरोही
चित्तौड़गढ़
कोटा
बारां
उदयपुर
झालावाड़
सलूम्बर
प्रतापगढ़
डूंगरपुर
बांसवाड़ा

रेडक्लिफ रेखा

- रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसके संस्थापक सर सिरिल एम रेडक्लिफ को माना जाता है।
- रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई ।
- इसकी भारत के साथ कुल सीमा 3310 किलोमीटर है।

रेडक्लिफ रेखा पर भारत के चार राज्य स्थित हैं।

1. जम्मू-कश्मीर (1216 कि.मी.)
2. पंजाब (547 कि.मी.)
3. राजस्थान (1070 कि.मी.)
4. गुजरात (512 कि.मी.)

- रेडक्लिफ रेखा के साथ **राजस्थान की सर्वाधिक सीमा - (1070 कि.मी.)**
- रेडक्लिफ रेखा के साथ **सबसे कम सीमा- गुजरात (512 कि.मी.)**
- रेडक्लिफ रेखा के सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय - श्रीनगर
- रेडक्लिफ रेखा के सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय - जयपुर
- रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्र में बड़ा राज्य - राजस्थान
- रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य - पंजाब
- रेडक्लिफ रेखा के साथ राजस्थान की कुल सीमा **1070 कि.मी.** है। जो **राजस्थान के छः जिलों** से लगती है।
    1. श्रीगंगानगर-210 कि.मी.
    2. अनूपगढ़
    3. बीकानेर-168 कि.मी.
    4. फलौदी
    5. जैसलमेर- 464 कि.मी.
    6. बाड़मेर- 228 कि.मी.

रेडक्लिफ पर सर्वाधिक सीमा जैसलमेर तथा न्यूनतम सीमा रेखा फलौदी बनाता है।

- रेडक्लिफ रेखा राज्य में उत्तर में श्रीगंगानगर के **हिन्दूमल कोट** से लेकर दक्षिण - पश्चिम में बाड़मेर के बाखासर गाँव, सेडवा तहसील तक विस्तृत है।
- रेडक्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के 9 जिले पंजाब प्रान्त का बहावलपुर, बहावल नगर व रहीमयारखान तथा सिंध प्रान्त के घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट व थारपाकर राजस्थान से सीमा बनाती हैं।

राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा – बहावलपुर

राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा- खैरपुर

पाकिस्तान के दो प्रांत राजस्थान की सीमा को छूते हैं।

1. पंजाब प्रांत
2. सिंध प्रांत

- रेडक्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है।
- राजस्थान की रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक सीमा जैसलमेर (464 कि.मी.) व न्यूनतम सीमा फलौदी की लगती है।
- रेडक्लिफ के नजदीक जिला मुख्यालय –अनूपगढ़
- रेडक्लिफ के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय - बीकानेर
- रेडक्लिफ रेखा पर सबसे बड़ा जिला - जैसलमेर
- रेडक्लिफ रेखा पर सबसे छोटा जिला – श्रीगंगानगर

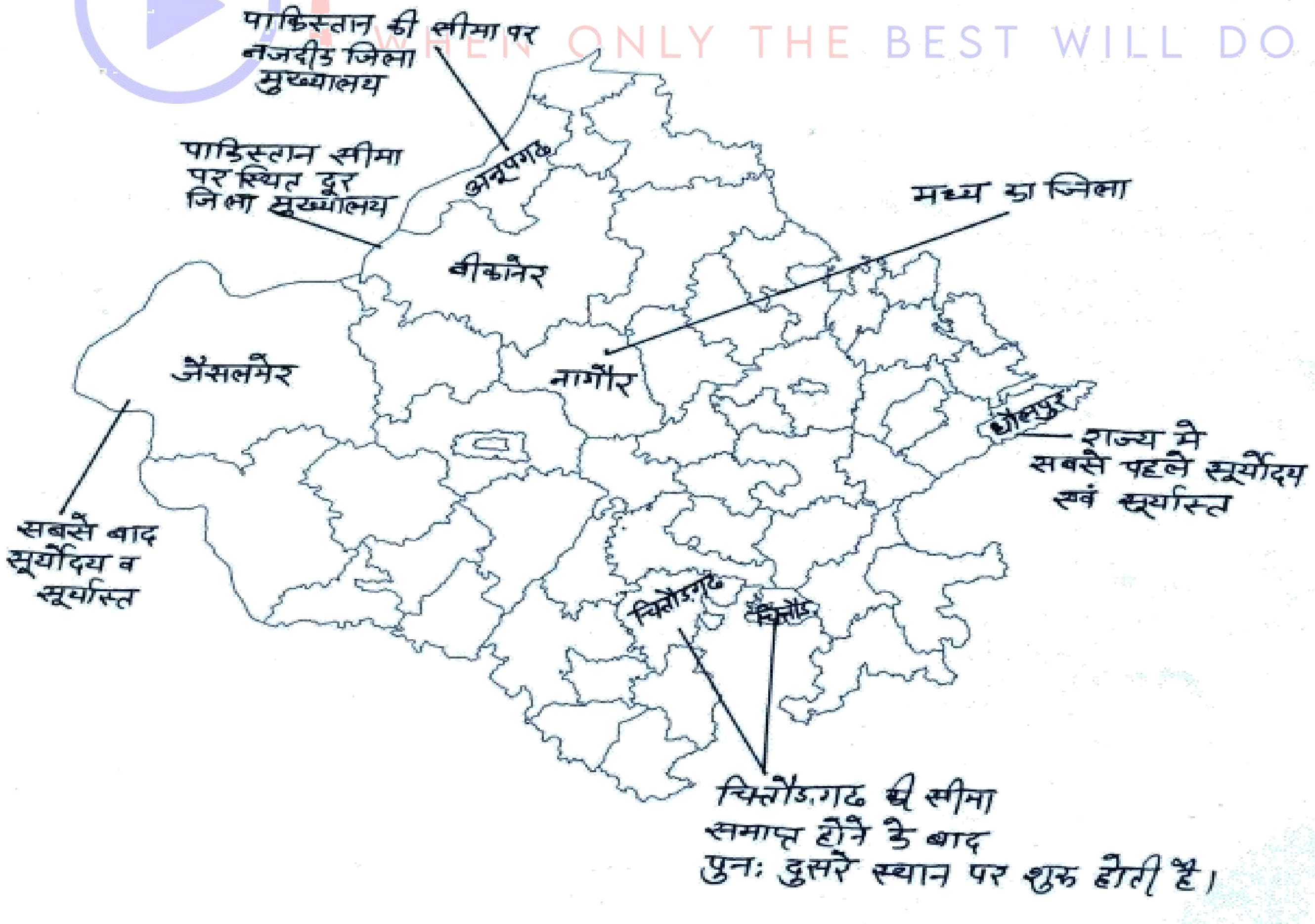
पाकिस्तान की सीमा पर नजदीक जिला मुख्यालय
अनूपगढ़
पाकिस्तान सीमा पर स्थित दूर जिला मुख्यालय
बीकानेर
मध्य का जिला
जैसलमेर
नागौर
धौलपुर
राज्य मे सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त
सबसे बाद सूर्योदय व सूर्यास्त
चित्तौड़गढ़
चित्तौड़
चित्तौड़गढ़ की सीमा समाप्त होने के बाद पुनः दुसरे स्थान पर शुरु होती है।

- राजस्थान के पांच पड़ोसी राज्य है । पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात

शॉर्ट ट्रिक

गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले है।

"उदय डूंगर पर बासि बाड़ा सांचा"

सूत्र		जिला
उदय	-	उदयपुर
डूँगर पर	-	डूंगरपुर
बां	-	बाँसवाड़ा
सि	-	सिरोही
बाड़	-	बाड़मेर
सांचा	-	सांचौर

राजस्थान की सीमा से लगने वाले गुजरात के जिले है।

"सादा पँचक बना माही"

सूत्र		जिला
सा	-	साबरकाठा
दा	-	दाहोद
पंच	-	पंचमहल
क	-	कच्छ
बना	-	बनासकंठा
माही	-	माहीसागर

❖ **अन्य तथ्य**

26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से हमारे राज्य का नाम राजस्थान पड़ा।

राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवम्बर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे।

26 वाँ जिला – अजमेर - 1 नवम्बर, 1956

27 वाँ जिला – धौलपुर - 15 अप्रैल, 1982, यह भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना।

28 वाँ जिला- बारां - 10 अप्रैल, 1991, यह कोटा से अलग हो कर नया जिला बना।

29 वाँ जिला – दौसा - 10 अप्रैल, 1991, यह जयपुर से अलग होकर नया जिला बना।

30 वाँ जिला राजसंमद – 10 अप्रैल, 1991, यह उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना।

31 वाँ जिला – हनुमानगढ़ - 12 जुलाई, 1994, यह श्रीगंगानगर से अलग होकर नया जिला बना।

32 वाँ जिला करौली 19 जुलाई, 1997, यह सवाई माधोपुर से अलग होकर नया जिला बना।

33 वाँ जिला – प्रतापगढ़ - 26 जनवरी, 2008, यह तीन जिलों से अलग होकर नया जिला बना।

1. चित्तौड़गढ़ - छोटीसादड़ी, आरनोद, प्रतापगढ़ तहसील
2. उदयपुर - धारियाबाद तहसील
3. बाँसवाड़ा- पीपलखुट तहसील

- प्रतापगढ़ जिला परमेश चन्द कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया ।
- प्रतापगढ़ जिले ने अपना कार्य 1 अप्रैल, 2008 से शुरू किया।
- **प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल व देवला / देवलीया के नाम से** जाना जाता था।

राजस्थान के दो जिले खण्डित जिले हैं - 1. अजमेर – टॉडगढ़ 2. चित्तौड़गढ़ - रावतभाटा

राजस्थान में 7 अगस्त 2023 को **रामलुभाया समिति** के सुझावों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 और नए जिलें बनानें की घोषणा की। इसके साथ ही राजस्थान में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गयी तथा 3 नये संभाग बनाये गए जिससे संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गयी।

नये जिलों के गठन के लिए 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की गयी ।

6 अगस्त 2023 को अधिसूचना का गजट में प्रकाशन हुआ।

7 अगस्त 2023 से अधिसूचना प्रभावी हुई।

3 नए संभाग इस प्रकार है-

बांसवाड़ा, पाली व सीकर

19 नए जिले निम्नलिखित हैं-

अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, केकड़ी, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल, नीमकाथाना, सलूंबर, सांचौर और शाहपुरा

अनूपगढ़-

- श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिलों का पुनर्गठन कर नया जिला अनूपगढ़ गठित किया गया है ।
- इसमें 7 तहसील (अनूपगढ, रायसिंहनगर, श्रीविजयनगर, घड़साना, रावला, छत्तरगढ़, खाजूवाला) हैं।
- छत्तरगढ़ और खाजूवाला को बीकानेर से जोड़ा गया है, अन्य को श्रीगंगानगर से जोड़ा गया है।

बालोतरा -

- बाड़मेर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला बालोतरा गठित किया गया है ।
- इस जिले में 7 तहसील (पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतु, गिड़ा, सिणधरी) हैं।

डीडवाना-कुचामन -

- नागौर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीडवाना-कुचामन गठित किया गया है।
- इस जिले में 8 तहसील (डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, लाडनूं, परबतसर, मकराना, नावां, कुचामनसिटी) हैं।

डीग -

- भरतपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला डीग गठित किया गया है।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- इस जिले में 9 तहसील (डीग, जनूथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामां, जुरहरा, पहाड़ी) हैं।

फलौदी :

- जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला फलौदी गठित किया गया है।
- इस जिले में 8 तहसील (फलौदी, लोहावट, आऊ, देचू, सेतरावा, बाप, घंटियाली, बापिणी) हैं।

जोधपुर (ग्रामीण)

- जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर जोधपुर (ग्रामीण) जिला गठित किया जाता है।
- जोधपुर (ग्रामीण) जिले में 15 तहसील (जोधपुर उत्तर तहसील (जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोडकर शेष समस्त भाग), जोधपुर दक्षिण तहसील (जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोडकर शेष समस्त भाग) कुडी भक्तासनी, लूणी, झंवर, बिलाडा, भोपालगढ, पीपाड़सिटी, ओसियाँ, तिवरी, बावडी, शेरगढ, बालेसर, सेखला व चामू) हैं।

जोधपुर :

- जोधपुर जिले का पुनर्गठन कर जोधपुर जिला गठित किया गया है ।
- इस जिले में 2 तहसील जोधपुर उत्तर (जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग), जोधपुर दक्षिण (जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग) हैं।

गंगापुरसिटी -

- **जिला मुख्यालय** - गंगापुरसिटी
- सवाईमाधोपुर एवं करौली जिलों का पुनर्गठन कर नया जिला गंगापुरसिटी गठित किया गया है।
- इस जिले में 7 तहसील (गंगापुरसिटी, तलावड़ा, वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडाभीम, नादोती हैं।
- टोडाभीम और नादोती तहसील को करौली से जोड़ा गया है। अन्य सभी को सवाईमाधोपुर से जोड़ा गया है।

दूदू -

- **जिला मुख्यालय** - दूदू
- जयपुर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला दूदू गठित किया गया ।
- इस जिले में 3 तहसील (मौजमाबाद, दूदू फागी) हैं।

जयपुर (ग्रामीण)

जिला मुख्यालय - जयपुर

जयपुर जिले का पुनर्गठन कर जयपुर (ग्रामीण) जिला गठित किया गया है ।

जयपुर ग्रामीण जिले में 18 तहसील (जयपुर तहसील (जयपुर का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) एवं नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोडकर शेष समस्त भाग) तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग, तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोडकर शेष समस्त भाग, तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोडकर शेष समस्त भाग, जालसू. बस्सी, तुंगा, चाकसू, कोटखावदा, जमवारामगढ, आंधी, चौमू, फुलेरा (मु.-सांभरलेक), माधोराजपुरा, रामपुरा डाबडी, किशनगढ़ रेनवाल, जोबनेर, शाहपुरा) हैं।

जयपुर -

जिला मुख्यालय - जयपुर

जयपुर जिले का पुनर्गठन कर जयपुर जिला गठित किया गया है।

जयपुर जिले में 4 तहसील (जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) एवं नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग. तहसील कालवाड का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग, तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर (हेरीटेज) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग, तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर (ग्रेटर) के अन्तर्गत आने वाला समस्त भाग) हैं।

कोटपूतली-बहरोड -

- **जिला मुख्यालय** - कोटपूतली-बहरोड़
- जयपुर एवं अलवर जिलों का पुनर्गठन कर नया जिला कोटपूतली- बहरोड़ गठित किया गया है
- कोटपूतली - बहरोड़ जिले में 8 तहसील (बहरोड़, बानसूर, नीमराना, मांढण, नारायणपुर कोटपूतली. विराटनगर, पावटा) हैं। कोटपूतली, विराटनगर, पावटा को जयपुर से जोड़ा गया है, अन्य सभी को अलवर से जोड़ा गया है।

खैरथल-तिजारा -

- **जिला मुख्यालय** - खैरथल
- अलवर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला खैरथल तिजारा गठित किया गया है।
- नवगठित खैरथल-तिजारा जिले में 7 तहसील (तिजारा, किशनगढ़बास, खैरथल, कोटकासिम, हरसोली, टपूकडा, मुंडावर) हैं।

नीम का थाना :-

- **जिला मुख्यालय** - नीम का थाना में
- सीकर और झुंझुनूं जिलों का पुनर्गठन करके नीमकाथाना का गठन किया गया है।
- इस नवगठित जिले के तहत 4 उपखंड (नीम का थाना, श्रीमाधोपुर, उदयपुरवाटी और खेतड़ी) शामिल किए गए हैं।
- इसमें नीमकाथाना और श्री माधोपुर को सीकर जिले से तथा उदयपुरवाटी और खेतड़ी को झुंझुनू जिले से शामिल किया गया है।

ब्यावर :-

- **जिला मुख्यालय** - ब्यावर
- अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा जिलों का पुनर्गठन करके नया जिला ब्यावर गठित किया गया है।

- इस नव गठित ब्यावर जिले में 6 उपखंड (ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा और बिजनौर) शामिल किए गए हैं।

केकड़ी :-

जिला मुख्यालय - केकड़ी

अजमेर और टोंक जिले को पुनर्गठित करके नया जिला केकड़ी बनाया गया है।

केकड़ी जिले में 5 उपखंड शामिल किए गए हैं। इनमें केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़ और टोडारायसिंह शामिल हैं।

सलूम्बर :-

जिला मुख्यालय - सलूम्बर

उदयपुर जिले का पुनर्गठन करके नए जिले सलूम्बर का गठन किया गया है।

सलूंबर जिले में 4 उपखंड (सराडा, सेमारी, लसाडिया और सलूम्बर) शामिल किए गए हैं।

शाहपुरा :-

जिला मुख्यालय - शाहपुरा

भीलवाड़ा जिले का पुनर्गठन करके नया जिला शाहपुरा बनाया गया है।

शाहपुरा जिले में 6 उपखंड (शाहपुरा, जहाजपुर, फूलियाकलां, बनेड़ा और कोटडी) शामिल किए गए हैं।

सांचौर :-

जिला मुख्यालय – सांचौर

जालौर जिले का पुनर्गठन करके नए जिले सांचौर का गठन किया गया है। सांचौर जिले में 4 उपखंड (सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा) शामिल किए गए हैं।

राजस्थान के संभाग

30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी ।

शुरुआत में राजस्थान में 5 संभाग (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर)थे।

24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाडिया ने बंद कर दिया ।

संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी नें की तथा अजमेर को जयपुर से अलग कर छठा संभाग बनाया ।

4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे नें भरतपुर को सातवाँ संभाग बनाया ।

7 अगस्त 2023 को रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सीकर, पाली और बांसवाड़ा 3 नये संभाग व 19 नये जिले बनाये गये ।

3 नवगठित व 7 पुराने संभागों को मिलाकर राजस्थान में कुल 10 संभाग हो गये हैं।

राजस्थान के 10 संभागो के नाम निम्नलिखित है-

1. अजमेर
2. उदयपुर
3. कोटा
4. जयपुर
5. जोधपुर
6. पाली
7. बांसवाडा
8. बीकानेर
9. भरतपुर
10. सीकर

राजस्थान में संभागीय व्यवस्था

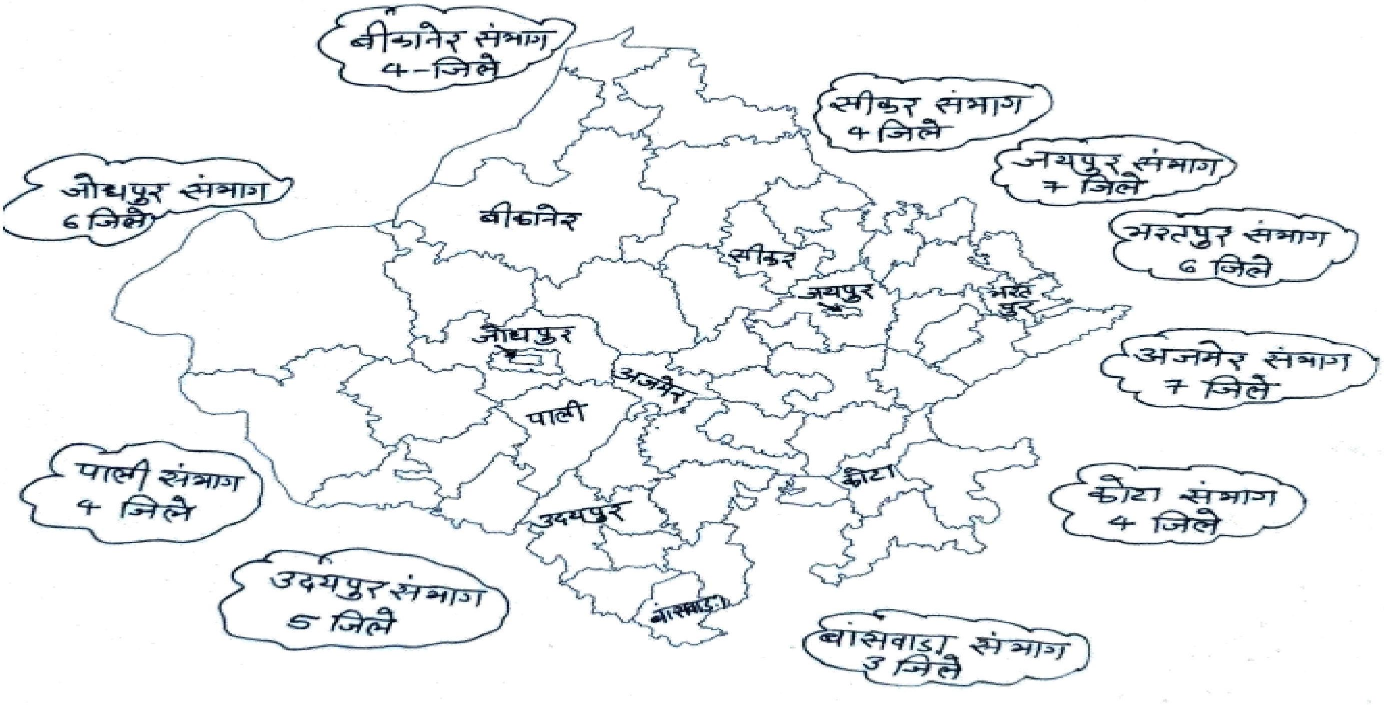
बीकानेर संभाग 4-जिले
सीकर संभाग 4 जिले
जयपुर संभाग 7 जिले
जोधपुर संभाग 6 जिले
भरतपुर संभाग 6 जिले
बीकानेर
सीकर
जयपुर
भरत पुर
जोधपुर
अजमेर
अजमेर संभाग 7 जिले
पाली
पाली संभाग 4 जिले
कोटा
कोटा संभाग 4 जिले
उदयपुर
उदयपुर संभाग 6 जिले
बांसवाड़ा
बांसवाड़ा संभाग 3 जिले

नेहड़ / सत्यपुर	सांचौर
गोडवाड़	सांचोर, जालौर, बालोतरा, सिरोही
उपरमाल	बिजोलिया (भीलवाड़ा) भैंसरोड़गढ़ (चित्तौड़गढ़)
कांठल	प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा
सौ द्वीपों का शहर	बाँसवाड़ा
तोरावाटी	शेखावाटी क्षेत्र में काटली नदी का अपवाह क्षेत्र
भोमट क्षेत्र	डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र
गुर्जरात्रा	जोधपुर जिले का दक्षिणी भाग (मंडोर)
आडवाल	अरावली
मेरवाड़ा	अजमेर व राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र
सालव प्रदेश	अलवर का क्षेत्र
उपकेशपट्टन / राजस्थान का भुवनेश्वर	ओसियां (जोधपुर ग्रामीण)
अजयमेरु	अजमेर
कोंकण तीर्थ	पुष्कर
मध्यमिका	नगरी
खिज्राबाद	चित्तौड़गढ़
भटनेर	हनुमानगढ़
जयनगर	जयपुर
उपनाम । प्राचीन नाम	**स्थानी / क्षेत्र**
राजस्थान का वैल्लोर	भैंसरोड़गढ़ दुर्ग (चि.)
तीर्थों का भांजा	मचकुंड (धौलपुर)
तीर्थों का मामा / कोंकण तीर्थ	पुष्कर
थार का घड़ा	चाँदन नलकूप
महान भारतीय जल विभाजक रेखा	अरावली पर्वतमाला
राजस्थान की कामधेनु	चंबल नदी
वागड़ की गंगा	माही नदी
कांठल की गंगा	माही नदी
अर्जुन की गंगा	बाणगंगा नदी

आदिवासियों की गंगा	माही नदी
आदिवासियों का कुंभ	बेणेश्वर
खनिजों का अजायबघर	राजस्थान
राजस्थान का विंडसर महल	**राजमहल (फर्ग्युसन्)**
प्रहरी मीनार	एक थंबा महल (जोधपुर)
राजस्थान राज्य की आत्मा	घूमर नृत्य
राजस्थान का खेल नृत्य	नेजा नृत्य
लोक नाट्यों का मेरु नाट्य	गवरीलोक नाट्य /राई लोक नाट्य
समस्त किलों का सिरमौर	चित्तौड़गढ़ का दुर्ग
हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर	विजयस्तंभ
मेवाड़ की आंख	कटारगढ़
जल दुर्ग	गागरोन दुर्ग
मृत नदी	घग्घर नदी
मसूरदी नदी	काकनी / काकनेय नदी
ढेबर झील	जयसमंद झील
रामसर साइट	सांभर झील
मारवाड़ का अमृत सरोवर	जवाई बाँध
भारतीय बाघों का घर	रणथम्भौर
ग्रेट इंडियन बर्ड	गोडावण
रेगिस्तान का कल्पवृक्ष	खेजड़ी
चीतल की मातृभूमि	सीतामाता
आड़ा हूला	पंगोलिन
शमी वृक्ष	खेजड़ी
भारतीय मेरिनो	चोकला
घोड़ा जीरा	ईसबगोल
राजस्थान का नागपुर	झालावाड़
उपकाशी	डीडवाना (डीडवाना-कुचामन)
राजस्थान की काशी	बूंदी
द्वितीय / छोटी काशी	जयपुर
राजस्थान की लोढ़ीकाशी	बाँसवाड़ा
मारवाड़ का लघु माउंट	पीपलूद (बालोतरा)

- **आर्बुद व चंद्रावती** - सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र
- **वागड़ या वाग्वर** - डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़

बाँध का निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ (बीसलदेव) ने करवाया था।

- ***बनास नदी पर झाड़ोल सिंचाई परियोजना स्थित है।***
- *बनास नदी अपने प्रवाह के अंत में सवाई माधोपुर जिले के खंडार तहसील के रामेश्वर नामक स्थान पर जाकर चंबल में मिल जाती है अर्थात् बनास चंबल की सहायक नदी है जैसा कि हमनें पहले ही पढ़ा था।*
- *बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है इस नदी पर नाथद्वारा के पास नंदसमंद बाँध का निर्माण कराया गया है जिसको राजसमंद की लाइफ लाइन भी कहा जाता है।*
- ***इसकी सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, गंभीरी, मेनाल, सहोदरा आदि हैं।***

बनास नदी की मुख्य सहायक नदियों के नाम है।

"बेड़च सोम खारी का मोर मांग"

सूत्र	**-**	***नदियाँ***
बेड़च	-	*बेड़च*
म	-	*मेनाल*
सो	-	*सहोदरा*
खारी	-	*खारी*
का	-	*कोठारी*
मोर	-	*मोरेल*
मा	-	*मानसी*
ग	-	*गम्भीरी*

3. बेड़च नदी -

बेड़च नदी

प्राचीन नाम – आयड़ नदी

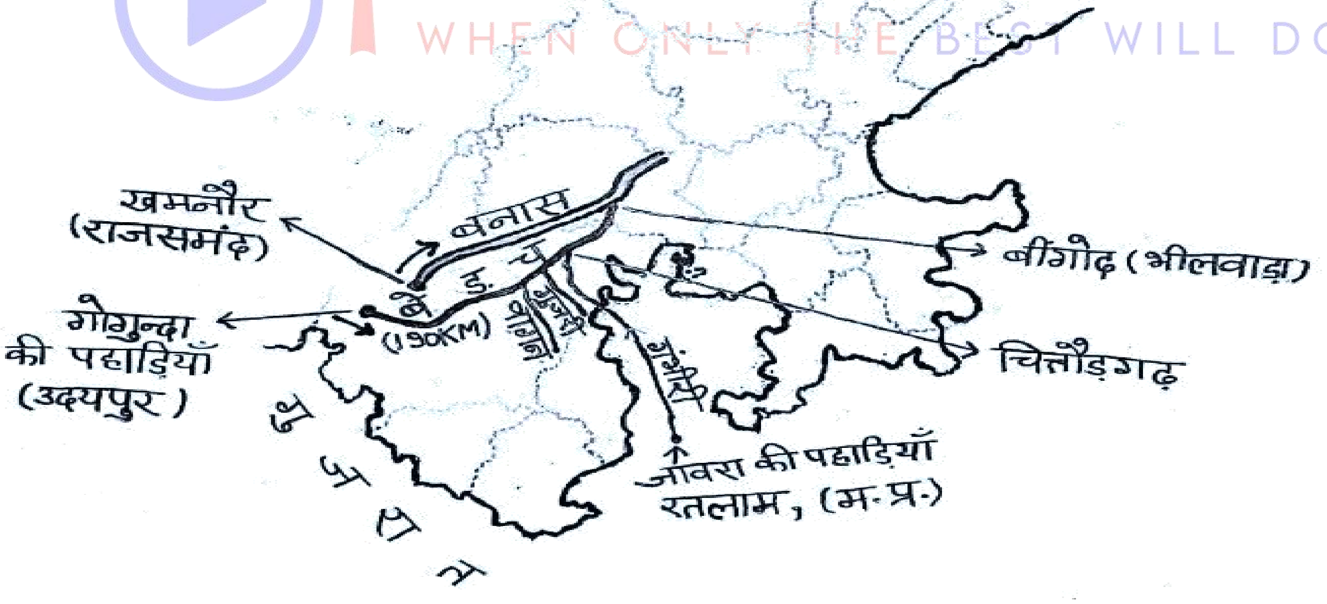

- *प्रारंभ में इस नदी को **आयड़ नदी** के नाम से जानते है तथा उदय सागर झील के उपरांत इसे बेड़च नदी के नाम से जानते हैं।*
- *इस नदी का उद्गम स्थल उदयपुर जिले में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है उदयपुर में 13 किलो मीटर बहने के बाद यह नदी उदयसागर झील में गिरती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में बहती हुई यह नदी भीलवाड़ा में बीगोद कस्बे के निकट बनास नदी में मिल जाती है। वहीं मेनाल नदी बीच में मिलती है इनके संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहते हैं।*
- *उदयपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता इसी नदी के तट पर स्थित थी। बेड़च नदी की कुल लंबाई लगभग 180 किलो मीटर है।*
- ***इस नदी की सहायक नदियाँ गंभीरी, गुजरी, वागन हैं।***

4. गंभीरी नदी -

- **यह मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम जिले के जावरा की पहाड़ियों से निकलती है।** यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च में जाकर विलीन हो जाती है। इसे चित्तौड़गढ़ की गंगा भी कहा जाता है।

5. खारी नदी -

- इस नदी का **उद्गम स्थल राजसमंद जिले में स्थित बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से** होता है ।
- यह नदी अजमेर तथा उदयपुर की सीमा निर्धारित करती है
- यहाँ ओझियाणा की सभ्यता विकसित हुई थी आगे चल कर यह नदी टोंक जिले के राजमहल नामक स्थान पर **बनास में जाकर मिल जाती है।**

6. कोठारी नदी -

- इस नदी का **उद्गम राजसमंद जिले के दिवेर नामक स्थान से** होता है तथा भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में जाकर मिल जाती है ।
- इस नदी पर **मेजा बाँध** बनाया गया है जो भीलवाड़ा जिले को पेयजल उपलब्ध करवाता है ।
- भीलवाड़ा जिले की प्रसिद्ध बागोर सभ्यता कोठारी नदी के तट पर विकसित हुई।
- **अपवाह क्षेत्र –** राजसमन्द, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, राजमहल (टोंक)

7. माशी नदी -

- इस नदी का **उद्गम अजमेर (किशनगढ़) जिले** से होता है यह नदी टोंक जिले में बीसलपुर के समीप बनास नदी में विलीन हो जाती है।

8. डाई नदी -

इस नदी का **उद्गम अजमेर जिले के किशनगढ़ (नसीराबाद) के मध्य स्थित पहाड़ियों** से होता है यह नदी टोंक जिले में राजमहल कस्बे के समीप बनास में जाकर मिल जाती है यह भी बनास की एक सहायक नदी है।

9. मानसी नदी -

इस नदी का **उद्गम भीलवाड़ा जिले में करणगढ़ की पहाड़ियों से** होता है यह नदी भीलवाड़ा जिले में बनास में जाकर मिल जाती है।

10. बांडी नदी -

इस नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित सामोद की पहाड़ियों से होता है यह नदी माशी नदी में विलीन हो जाती है।

11. ढूंढ नदी -

इस नदी का **उद्गम जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित अचरोल की पहाड़ियों से** होता है यह नदी जयपुर तथा दौसा जिले में बहती हुई दौसा जिले के लालसोट तहसील के समीप मोरेल नदी में मिल जाती है।

12. बाणगंगा नदी –

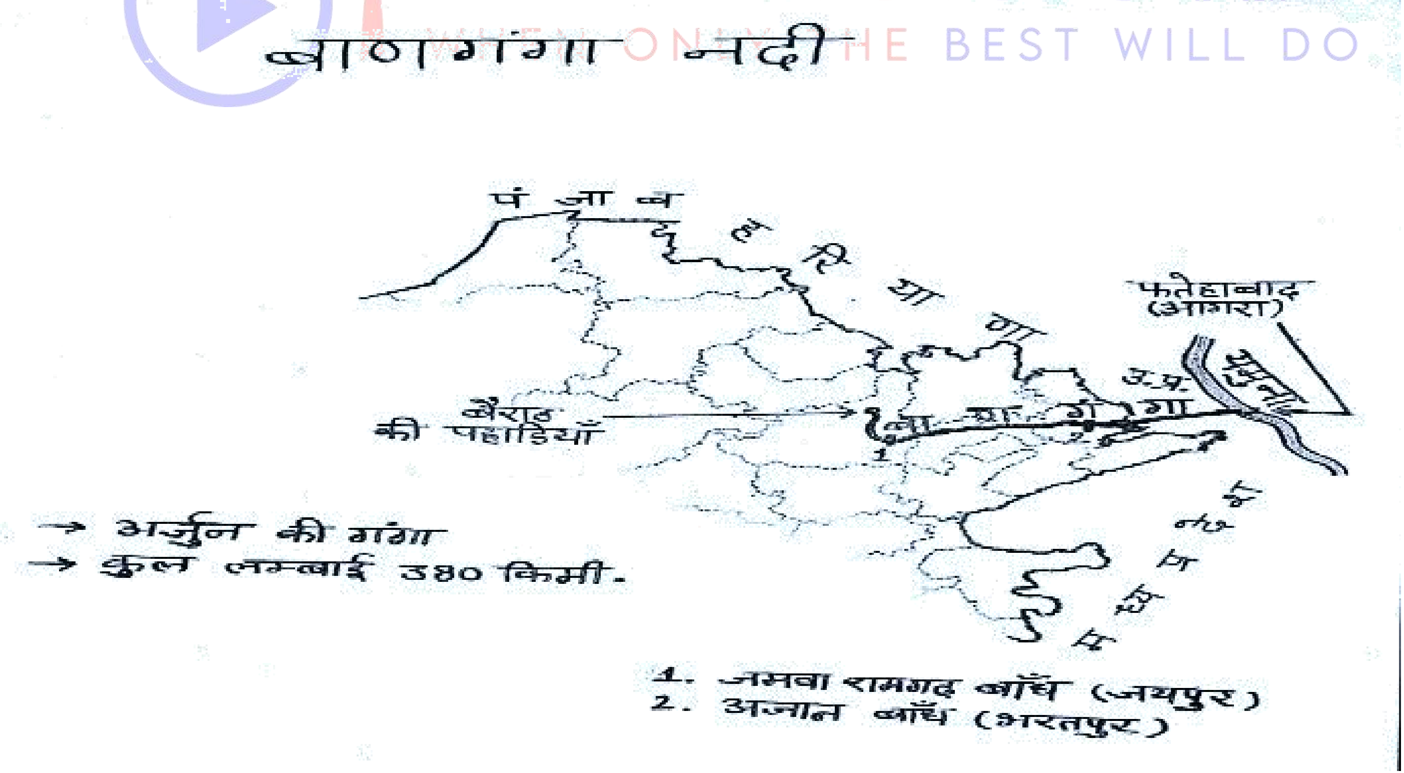

इसका उद्गम कोटपूतली-बहरोड़ जिले की बैराठ पहाड़ियों से होता है। इसे अर्जुन की गंगा / ताला नदी व रुन्डित नदी भी कहा जाता है।

- इस नदी की कुल लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है ।
- **राजस्थान में अपवाह क्षेत्र –** कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, दौसा, भरतपुर, फतेहाबाद ।

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- इस नदी पर जयपुर ग्रामीण में **जमवारामगढ़ बाँध** बना हुआ है।
- **भरतपुर में इस नदी पर अजान बाँध** बना हुआ है। जिससे घना पक्षी अभ्यारण को जलापूर्ति की जा रही है।
- अपने प्रवाह के अंत में यह नदी आगरा के समीप फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है।

राज्य की केवल 3 नदियाँ बाणगंगा, चंबल और गंभीरी यमुना में अपना जल सीधे लेकर जाती हैं।

पार्वती :-

उद्गम :- **मध्यप्रदेश में विंध्याचल पर्वत के "सीहोर" नामक स्थान से** निकलती है ।

राजस्थान में प्रवेश :- करयाहट के निकट बारां जिले के छतरपुरा गाँव में ।

बहाव क्षेत्र:- बारां तथा कोटा जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया नामक स्थान पर चंबल से मिल जाती है ।

सहायक नदियाँ – अहेरी, अँधेरी, रेतड़ी, बिलास, लासी, बरनी, बैन्थली, दूवराज ।

कालीसिंध :-

उद्गम :- मध्यप्रदेश में देवास के निकट बागली की पहाड़ियों से निकलती है ।

राजस्थान में प्रवेश :- रायपुर गाँव झालावाड़ जिले में ।

बहाव क्षेत्र :- झालावाड़ तथा कोटा एवं बारां जिले की सीमा पर बहती हुई कोटा जिले में नौनेरा नामक स्थान पर चंबल से मिल जाती है ।

सहायक नदियाँ :- आहू, परवन, निवाज (निमाज), उजाड़ ।

आहू :-

उद्गम :- **मध्यप्रदेश में सुसनेर के** निकट से निकलती है ।

राजस्थान में प्रवेश :- नंदपुर गाँव झालावाड़ जिले में

बहाव क्षेत्र :- झालावाड़, कोटा की सीमा के पास से बहती हुई झालावाड़ जिले के गागरोन में कालीसिंध से मिल जाती है। झालरापाटन (झालावाड़) तथा रामगंज मंडी (कोटा) की सीमा बनाती है ।

विशेष :- **कालीसिंध तथा आहू नदी के संगम पर राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन दुर्ग बना** हुआ है।

कांकुड नदी :-

- यह एक छोटी नदी है जो बयाना तहसील के दक्षिणी-पश्चिमी सीमा से भरतपुर जिले में प्रवेश करती है ।
- इस नदी का जल **बारेठा बाँध** में एकत्रित किया जाता है।
- इस जल का उपयोग बयाना और रूपवास तहसील में सिंचाई के लिए किया जाता है।
- यह नदी मुख्यत: पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है और अनेक जल प्रपातों का निर्माण करती है ।
- दर नामक जलप्रपात इसका एक प्रसिद्ध जलप्रपात है ।
- इसका पानी कभी भी समाप्त नहीं होता है । इस नदी के किनारे चैनपुरा और बारेठ नामक गाँव स्थित है।

मेनाली :-

यह छोटी नदी है जो **भीलवाड़ा मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और बिगोद के पास बेड़च नदी के साथ बनास नदी में मिल जाती है।** स्थानीय लोगों में यह स्थान त्रिवेणी संगम कहलाता है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है।

मांगली नदी :-

- मांगली नदी का उद्गम स्थल भीलवाड़ा है।
- यह बूंदी जिले के तालेरा तहसील की एक महत्त्वपूर्ण नदी है और यह मेज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ।
- यह नदी बाइन्स खेरा के निकट मेज नदी से मिल जाती है।

घोड़ा पछाड़ नदी :-

- यह नदी बिजोलिया झील से निकलती है और उत्तर-पूर्व में तालेरा तहसील में प्रवाहित होती है।
- अंत में यह संगवाडा के निकट मांगली नदी से मिल जाती है।
- यहाँ इस नदी पर गारदाधा नामक स्थान पर एक छोटा बाँध बनाया गया है ।

चूहड़ सिद्ध :-

- यह नदी अलवर की चूहड़ सिद्ध पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर पीपरोली तक प्रवाहित होती है।
- प्रारंभ में यह नदी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है फिर शेखपुर के निकट पूर्व की ओर मुड़ती हुई दिल्ली अलवर रोड को पार करती है और अंतत: शेखपुरी के निकट हरियाणा के गुड़गाँव जिले में प्रवेश कर जाती है ।
- होलानी, जिलोली, स्माइलपुर और बिलासपुर आदि इस की सहायक नदियाँ हैं।

परवन नदी :-

- यह क्षेत्र की एक महत्त्वपूर्ण नदी है वास्तव में यह अजनार और घोड़ा पछाड़ नामक नदी की एक संयुक्त धारा है, जो मध्यप्रदेश राज्य से निकलती है और उत्तर में प्रवाहित होने के पश्चात् राजस्थान में खरीबोर गाँव मनोहर थाना नामक कस्बे के निकट घूमती है।
- इस कस्बे के उत्तर में यह नदी कालिका नामक नदी से मिल जाती है ।
- मनोहर थाना तहसील में यह नदी लगभग 17 मील बहती है और इसके पश्चात् पश्चिम में दिशा में अकलेरा तहसील की सीमा पर बहती हुई उत्तर दिशा में मुड़ जाती है फिर कानपुर तहसील की 8 मील सीमा पर बहती हुई कोटा जिले में प्रवेश कर जाती है ।
- अंत में रामगढ़ कोटा में यह **कालीसिंध में मिल जाती है। बारां जिले में शेरगढ़ अभ्यारण इसी नदी के पास है।**
- बारां जिले में इस नदी पर परवन परियोजना शुरू की गयी है।
- सहायक नदियाँ – धार, छापी, घोड़ा पछाड़, निमाज

अध्याय – 8

राजस्थान में कृषि

इस अध्याय में हम राजस्थान में कृषि एवं पशुसंपदा का अध्ययन करेंगे । हम स्थायी तथ्यों के अलावा परिवर्तनशील वर्तमान आंकड़ों का भी अध्ययन करेंगे। हम कृषि तथा पशु संपदा का वर्तमान अर्थव्यवस्था में महत्त्व भी जानेंगे तथा इनसे संबंध क्षेत्रों का जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में महत्त्व रखते है उनका भी अध्ययन करेंगे ।

राजस्थान की कृषि

यहाँ हम कृषि कि विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। जो कि निम्नलिखित है -

राजस्थान में कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण -

मिश्रित कृषि

कृषि का वह रूप जिसमें पशुपालन व कृषि दोनों साथ - साथ की जाती है । मिश्रित कृषि कहलाती है ।

खड़ीन कृषि - प्लाया झीलों में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि । प्लाया झीलों में 3 तरफ खेत के मिट्टी कि दीवार बनाकर ढलान पर वर्षा का जल एकत्र कर कृषि की जाती है । **(सर्वाधिक - जैसलमेर)**

ड्यूओं कल्चर - एक वर्ष में एक खेत में दो फसलों का उत्पादन ।

ओलिगों कल्चर - एक वर्ष में एक खेत में तीन फसलों का उत्पादन ।

रिले क्रॉपिंग कृषि - जब एक कृषि वर्ष में 4 बार फसलों का उत्पादन। (कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून)

स्थानांतरित कृषि - वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है।

- आदिवासियों द्वारा डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं बाँसवाड़ा क्षेत्र में जंगल में आग लगाकर बची राख को फैलाकर वर्षा होने पर जो कृषि की जाती है। उसे **झूमिंग या स्थानांतरित कृषि कहते हैं।**
- यह कृषि कुछ वर्षों (प्रायः दो या तीन वर्ष) तक जब तक मृदा में उर्वरता बनी रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है।
- इसके पश्चात् इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़-पौधे उग आते हैं। अब अन्यत्र वन भूमि को साफ करके कृषि के लिये नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है।
- इस प्रकार झूम कृषि स्थानांतरित कृषि है, जिसमें थोड़े-थोड़े समयांतराल पर खेत बदलते रहते हैं।
- **आदिवासियों में यह वालरा' नाम से जानी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों की वालरा 'चिमाता' एवं मैदानी क्षेत्रों की वालरा 'दजिया' कहलाती है।**

शुष्क कृषि (बारानी)-

- **50 सेमी. से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में** वर्षा जल का सुनियोजित रूप से संरक्षण व उपयोग कर कम पानी की आवश्यकता वाली व शीघ्र पकने वाली फसलों की कृषि की जाती है।
- यह कृषि राज्यों के अधिकांश जिलों में की जाती है।

आर्द्र कृषि-

- 200 सेमी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उपजाऊ कांप व काली मिट्टी पर उन्नत व व्यापारिक फसल प्राप्त की जाती है, वह 'आर्द्र कृषि' कहलाती है।
- राज्य के बारां, झालावाड़, कोटा, बाँसवाड़ा, एवं चित्तौड़गढ़ में आर्द्र कृषि की जाती है।

सिंचित कृषि-

- यह कृषि राज्य के उन क्षेत्रों में कि जाती है जहाँ सिंचाई के लिए जल **नहरों, नलकूपों से** लिया जाता है । जैसे **हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ में नहरों** का जल सुगमता से उपलब्ध हो जाता है।
- राज्य की लगभग 32 प्रतिशत कृषि भूमि पर वर्षा के अलावा अन्य स्रोतों से पानी देकर फसल तैयार की जाती है।
- यह 50 से 100 सेमी. वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। **अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, गंगापुरसिटी, भीलवाड़ा, अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिले** इस क्षेत्र में आते हैं।

2. ऋतु के आधार पर

(i) खरीफ की फसलें

(अ) खरीफ की प्रमुख फसलें :- धान, मक्का, ज्वार, मूंग, मूंगफली, लोबिया, कपास, जूट, बाजरा, ग्वार, तिल, मोठ आदि है।

(ब) खरीफ की फसलों की बुवाई जून - जुलाई में और कटाई अक्टूबर महीने में की जाती है।

(ii) रबी की फसलें

(अ) रबी की प्रमुख फसलें:- जौं, राई, गेहूँ, जई, सरसों, मैथी, चना, मटर आदि है।

(ब) रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर - नवबंर में तथा कटाई अप्रैल महीने में की जाती है।

(iii) **जायद की फसलें**

(अ) जायद की प्रमुख फसलों में तरबूज, खरबूजा, टिंडा, ककड़ी, खीरे, मिर्च आदि है।

(ब) जायद की फसल की बुवाई फरवरी - मार्च में तथा कटाई जून महीनें में की जाती है।

3. उपयोग के आधार पर

(i) खाद्यान फसलें - राजस्थान की खाद्यान फसलें गेहूँ, चावल (धान), बाजरा, जौं, मक्का, ज्वार, दलहन, तिलहन प्रमुख है।

(ii) वाणिज्यिक फसलें - राजस्थान की वाणिज्यिक फसलें कपास और गन्ना है।

राजस्थान में खाद्यान्नों में गेहूँ , जौं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, रबी एवं खरीफ की दलहन फसलें शामिल हैं।

1. गेहूँ

- राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूँ बोया जाता है।
- **गेहूँ को बोए जाने के समय तापमान कम से कम 8° से 10° से.** तक होना चाहिए तथा **पकने के समय तापमान 15° से 20° से. तक** होना चाहिए।
- **50 - 100 सेमी. के बीच वर्षा** की आवश्यकता होती है।

राजस्थान में साधारण गेहूँ (ट्रीटिकम) एवं मैक्रोनी गेहूँ (लाल गेहूँ) सर्वाधिक पैदा होता है।

- गेहूँ उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी - पूर्वी **राजस्थान के जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल-तिजारा, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, गंगापुरसिटी, भीलवाड़ा, अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिले हैं।**
- राजस्थान में **सर्वाधिक गेहूँ श्रीगंगानगर जिले** में उत्पादित होता है इसलिए श्रीगंगानगर जिला अन्न का भण्डार कहलाता है।
- **नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी, महीन कांप मिट्टी व चीका (चीकनी) प्रधान मिट्टी** गेहूँ उत्पादन हेतु उपयुक्त होती है। मिट्टी ph मान 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए।
- **राजस्थान में दुर्गापुरा-65, कल्याण सोना, मैक्सिकन, सोनेरा, शरबती, कोहिनूर, सोनालिका, गंगा सुनहरी, मंगला, कार्निया-65, लाल बहादुर, चम्बल-65, राजस्थान-3077 आदि किस्में** बोई जाती हैं।

गेहूँ में छाछ्या, करजवा, रतुआ, चेंपा रोग पाए जाते हैं।

इण्डिया मिक्स- गेहूँ , मक्का व सोयाबीन का मिश्रित आटा।

2. जौं

- राजस्थान में जौं उत्पादन क्षेत्रफल लगभग 2.5 लाख हैक्टेयर है।
- **भारत के कुल उत्पादन का 1/4 भाग राजस्थान में** पैदा होता है। जौं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है तथा रबी की फसल है।
- **जौं की बुवाई के समय लगभग 10° - 15° सें.** तापमान की आवश्यकता है तथा का**टते समय 30° से 22° सेन्टीग्रेड** तापमान होना चाहिए।
- जौं के लिए **शुष्क और बालू मिश्रित कांप मिट्टी (दोमट मिट्टी)** उपयुक्त रहती है।
- **जौं की प्रमुख किस्में ज्योति, राजकिरण, R-D. 2508,** मोल्वा आदि है।
- राजस्थान में प्रमुख जौं उत्पादन जिले **जयपुर ग्रामीण (सर्वाधिक), उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा व अजमेर हैं।**
- जौं का उपयोग मिस्सी रोटी बनाने, मधुमेह रोगी के उपचार, शराब व बीयर बनाने, माल्ट उद्योग में किया जाता है।

3. बाजरा

विश्व का सर्वाधिक बाजरा भारत में पैदा होता है। बाजरे के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में रा**जस्थान का भारत में प्रथम स्थान है।** राजस्थान देश का लगभग **एक तिहाई** बाजरा उत्पादित करता है।

बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खरीफ की फसल है।

बाजरा के लिए शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है।

बाजरे की बुवाई मई, जून या जुलाई माह में होती है। बाजरे की **बुवाई करते समय तापमान 25° से 35° सेन्टीग्रेड** तक होना चाहिए।

बाजरे के लिए 40से 50 सेमी. उपयुक्त रहती है। **बाजरा बलुई, बंजर, मरुस्थलीय तथा अर्द्ध कांपीय मिट्टी में पैदा होता है ।**

बाजरा की प्रमुख किस्में ICTP - 8203, WCC - 75,राजस्थान - 171, RHB - 30, RHB - 58, RHB - 911, **राजस्थान बाजरा चरी-2 हैं। बाजरा को** जोगिया, ग्रीन ईयर, कण्डुआ, सूखा रोग नुकसान पहुँचाते हैं ।

केन्द्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना व मिलेट डायरेक्टोरेट को क्रमशः पूना व चेन्नई से जोधपुर व जयपुर स्थानांतरित किया गया है। दो नए केन्द्र बीकानेर एवं जोधपुर में स्थापित किए गए हैं।

4. मक्का

भारत में कुल मक्का उत्पादन का 1/8 भाग राजस्थान में उत्पादित होता है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है।

उष्ण एवं आर्द्र जलवायु मक्का के उपयुक्त रहती है। मक्का की **बुवाई करते समय** औसत तापमान **21° से 27° सेन्टीग्रेड** तक होना चाहिए।

मक्का के लिए 50 से 80 सेमी. तक वर्षा की आवश्यकता रहती है। **मक्का के लिए नाइट्रोजन व जीवांशयुक्त मिट्टी, दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त** रहती है।

मक्का की **प्रमुख किस्में माही कंचन, माही धवल, सविता (संकर किस्म), नवजोत, गंगा-2, गंगा-11, अगेती-76, किरण आदि** है।

मक्का की हरी पत्तियों से साईलेज चारा बनाया जाता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मक्के के पौधे का 80 प्रतिशत विकास रात के समय होता है।

बाँसवाड़ा जिले के बोरवर गाँव में कृषि अनुसंधान केन्द्र संचालित है। इस केन्द्र ने मक्का की संयुक्त किस्में माही कंचन एवं माही धवल विकसित की है।

मक्का के दानों से मांडी (स्टार्च), ग्लूकोज तथा एल्कोहल तैयार किया जाता है। मक्का मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख खाद्यान्न है।

कपास-

दिग्विजय, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, वराह लक्ष्मी, संकर-4, पूसा-31, RG -1, 8

गन्ना-

CO - 527,997,419,449, 1111, 1253, BO -17, सेकेरम स्पाटेनियम, सी.ओ.जी.-671

मटर -

रचना, DMR - 11, RP -3, T - 163, पंत-5, आर्किल

चना -

T - 3, पंत, G -114, पूसा-209, C -214, काबुली चने की काबुली किस्म को पानी की अधिक आवश्यकता होती है।

उड़द -

कृष्णा, पंत यू.-19,पीडीयू-1

तिल-

प्रताप, पीसी-25

मूंगफली-

आर.एस.-9, आर.एस.बी.-87

अरहर -

प्रभात, टी-21, ग्वालियर-3, पूसा-74, पूसा-33, मानक

कृषि जलवायु क्षेत्र

क्र. सं.	जोन	जोन का नाम	जिले	वर्षा (MM)	फसलें
1	IA	शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र के शुष्क मैदानी क्षेत्र	पश्चिम जोधपुर ग्रामीण, पश्चिम चुरू	200-370	बाजरा, मोठ व ग्वार
2	IB	सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र	श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़	100-350	कपास , गेहू, सरसों
3	IC	शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र	जैसलमेर , बीकानेर , एवं चुरू की चार तहसीलें	100-350	
4	IIA	**अंतः प्रवाह शुष्क क्षेत्र**	सीकर, नागौर, झुंझुनूं, नीमकाथाना, पूर्वी चुरू व अलवर का कुछ भाग	300-500	बाजरा, मोठ व ग्वार
5	IIB	लूनी नदी अर्न्तवृत्तीय मैदानी क्षेत्र	पाली, जालौर पश्चिमी सिरोही, पूर्वी जोधपुर ग्रामीण के भाग	300-500	बाजरा, ग्वार, सरसों, तिल व जीरा
6	IIIA	अर्द्ध - शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र	अजमेर, ब्यावर, गंगापुरसिटी, दौसा, जयपुर ग्रामीण, दुदू, टोंक	500-700	गेहूँ , सरसों, ज्वार, बाजरा, चना
7	IIIB	बाढ़ सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र	भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व पूर्वी सिरोही	500-700	सरसों, गेहूँ, चना, जौं, बाजरा
8	IVA	अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी	भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व पूर्वी सिरोही	500-700	मक्का, ज्वार व खरीफ, दाल
9	IVB	आर्द्र - दक्षिणी मैदानी क्षेत्र	डूंगरपूर, बाँसवाड़ा, उदयपुर का दक्षिणी पूर्वी भाग	500-1100	मक्का, चना , ज्वार, व मूंग
10	V	आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र	कोटा, झालावाड़, बूँदी, बारां, सवाईमाधोपुर	650-1000	सोयाबीन, ज्वार, सरसों, धनियाँ, गेहूँ

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

खेती के काम में आने वाले उपकरण

1. फावड़ा खेत की पाली (खड़ीन) बाँधने के काम में आता है।

2. गेंती खेत में मिट्टी खोदने के काम में आता है।

3. तगारी मिट्टी डालने के काम आता है।

4. कस्सी खेत में व फसल में लगी खरपतवार को काटने के काम में आती है।

5. दांतरा खेत में फसल को काटने के काम आता है। जैसे डोका, घास, कड़ब, रायड़ा, सरसों आदि काटने में।

6. दांतरी खेत में बाजरा तथा ज्वार के पौधों के सिरे (बाली) काटने के काम में आती है।

7. बई खेत में पाला, छोटी-बड़ी झाड़ियाँ, घास इकट्ठा करने व बाड़ा बनाने के काम में आती है।

8. हाहीगी खेत में कुत्तर (भूसा) भरने के काम में आती है।

9. चारसींगी/चौंकनी घास को इधर-उधर डालने एवं चारा (कुत्तर/भूसा) को भरने के काम में आता है।

10. हल खेत में बुआई के काम में आता है।

11. खेड़ का हल खेत में जुताई के काम में आता है।

12. थ्रेसर बाजरा, ज्वार, ग्वार, गेहूँ तथा सरसों आदि निकालने के काम में आता है।

13. तवी ट्रैक्टर के पीछे चलाकर खेत की जुताई की जाती है।

14. कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे चलाकर खेत में बुवाई की जाती है।

15. कुत्तर मशीन खेती में डोका, कड़ब, घास, सेवण, धामण, आदि को काटने के काम में आती है।

16. दंताली वर्मी कम्पोस्ट खाद में लगाने के काम में आता है। जिससे खाद को कीड़ा से बचाया जाता है।

17. कुल्हाड़ी (कवाड़ी) बड़ी झाड़ियों, काँटों को छाँगने या काटने के लिये।

18. गेंती कठोर मिट्टी /मुरड़ खोदने के लिये।

19. ओड़ी / ओड़ा पशुओं को चारा एवं कचरा भरने के लिये

राजस्थान की मंडिया

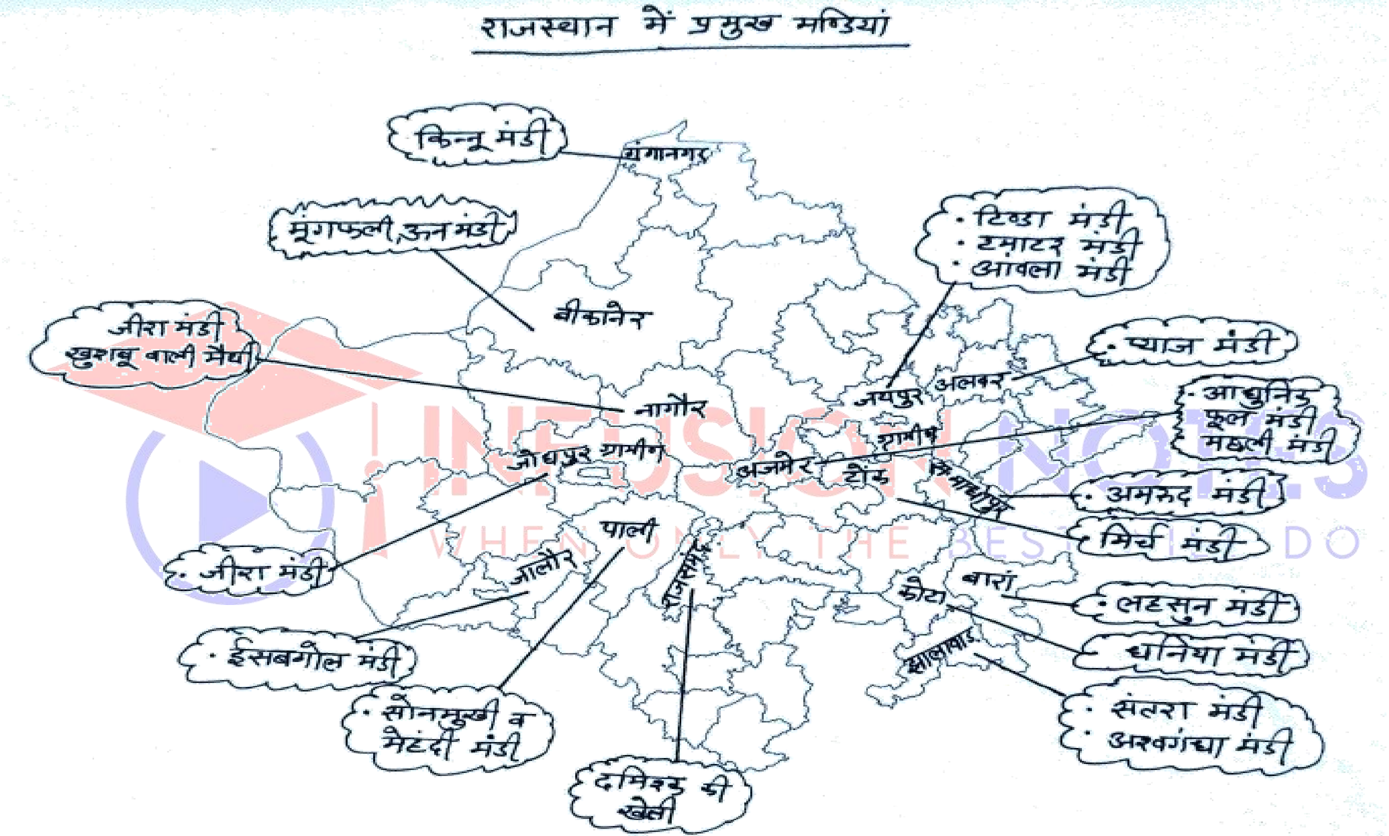
राजस्थान में प्रमुख मण्डियां
किन्नू मंडी
श्रीगंगानगर
मूंगफली, ऊन मंडी
बीकानेर
जीरा मंडी
खुशबू वाली मैथी
नागौर
जोधपुर ग्रामीण
• जीरा मंडी
पाली
जालौर
• ईसबगोल मंडी
• सोनमुखी व मेहंदी मंडी
राजसमंद
दमिश्क की खेती
• टिण्डा मंडी
• टमाटर मंडी
• आंवला मंडी
जयपुर
अलवर
• प्याज मंडी
ग्रामीण
• आधुनिक फूल मंडी मछली मंडी
अजमेर
टोंक
स. माधोपुर
• अमरूद मंडी
• मिर्च मंडी
बारां
कोटा
• लहसुन मंडी
धनिया मंडी
झालावाड़
• संतरा मंडी
• अश्वगंधा मंडी

1. **जीरा मंडी - मेडता सिटी (नागौर)**
2. **सतरा मंडी - भवानी मंडी (झालावाड)**
3. कीन्नू व माल्टा मंडी - श्रीगंगानगर
4. प्याज मंडी - अलवर
5. अमरुद मंडी - सवाई माधोपुर
6. **ईसबगोल (घोड़ाजीरा) मंडी - भीनमाल (जालौर)**
7. मूंगफली मंडी - बीकानेर
8. धनिया मंडी - रामगंज (कोटा)
9. **फूल मंडी - अजमेर**
10. मेहंदी मंडी - सोजत (पाली)
11. लहसून मंडी - छीपा बाड़ौद (बारां)
12. **अश्वगंधा मंडी -झालरापाटन (झालावाड़)**
13. टमाटर मंडी - बस्सी (जयपुर ग्रामीण)
14. मिर्च मंडी - टोंक
15. मटर - बसेड़ी (जयपुर ग्रामीण)
16. टिण्डा मंडी - शाहपुरा (जयपुर ग्रामीण)
17. **सोनामुखी मंडी - सोजत (पाली)**
18. **आंवला मंडी - चौमू (जयपुर ग्रामीण)**

राजस्थान में प्रथम निजी क्षेत्र की कृषि मण्डी कैथून (कोटा) में आस्ट्रेलिया की ए.डब्लू.पी. कंपनी द्वारा स्थापित की गई है।

राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय

1. स्वामी केशवानंद कृषि विवि, बीकानेर
2. महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विवि, उदयपुर
3. कृषि विवि, जोधपुर
4. कृषि विवि, जोबनेर जयपुर
5. कृषि विवि, कोटा

राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं आइए जानते हैं वह कौन - कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं।

1. ऐसे खनिज जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है -
   पन्ना, जास्पर, तामड़ा, वोलेस्टोनाइट
2. ऐसे खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है -
   जस्ता - 97%, फ्लोराइड 96%, **एस्बेस्टस** 96%, रॉकफोस्फेट 95%, जिप्सम 94 % चूना पत्थर 98%, खड़िया मिट्टी 92%, घीया पत्थर 90%, चांदी 80%, मकराना (मार्बल) 75%, सीसा 75%, **फेल्सपार** 75%, टंगस्टन 75%, कैल्साइट 70%, फायर क्ले 65%, ईमारती पत्थर 60%, बेंटोनाइट 60%, कैडमियम 60%
3. वे खनिज जिनकी राजस्थान में कमी है - लोहा, कोयला, मैंगनीज, खनिज तेल, ग्रेफाइट

राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है -

1. **धात्विक खनिज** – लौह अयस्क, मैंगनीज, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी इत्यादि ।
2. **अधात्विक खनिज** - अभ्रक, एस्बेस्टस, फेल्सपार, बालुका मिट्टी, चूना पत्थर, पन्ना, तामड़ा इत्यादि ।
3. **ईंधन** - कोयला, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि ।

दोस्तों खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश काफी समृद्ध है।

- **धात्विक खनिज –**

राजस्थान में धात्विक खनिज

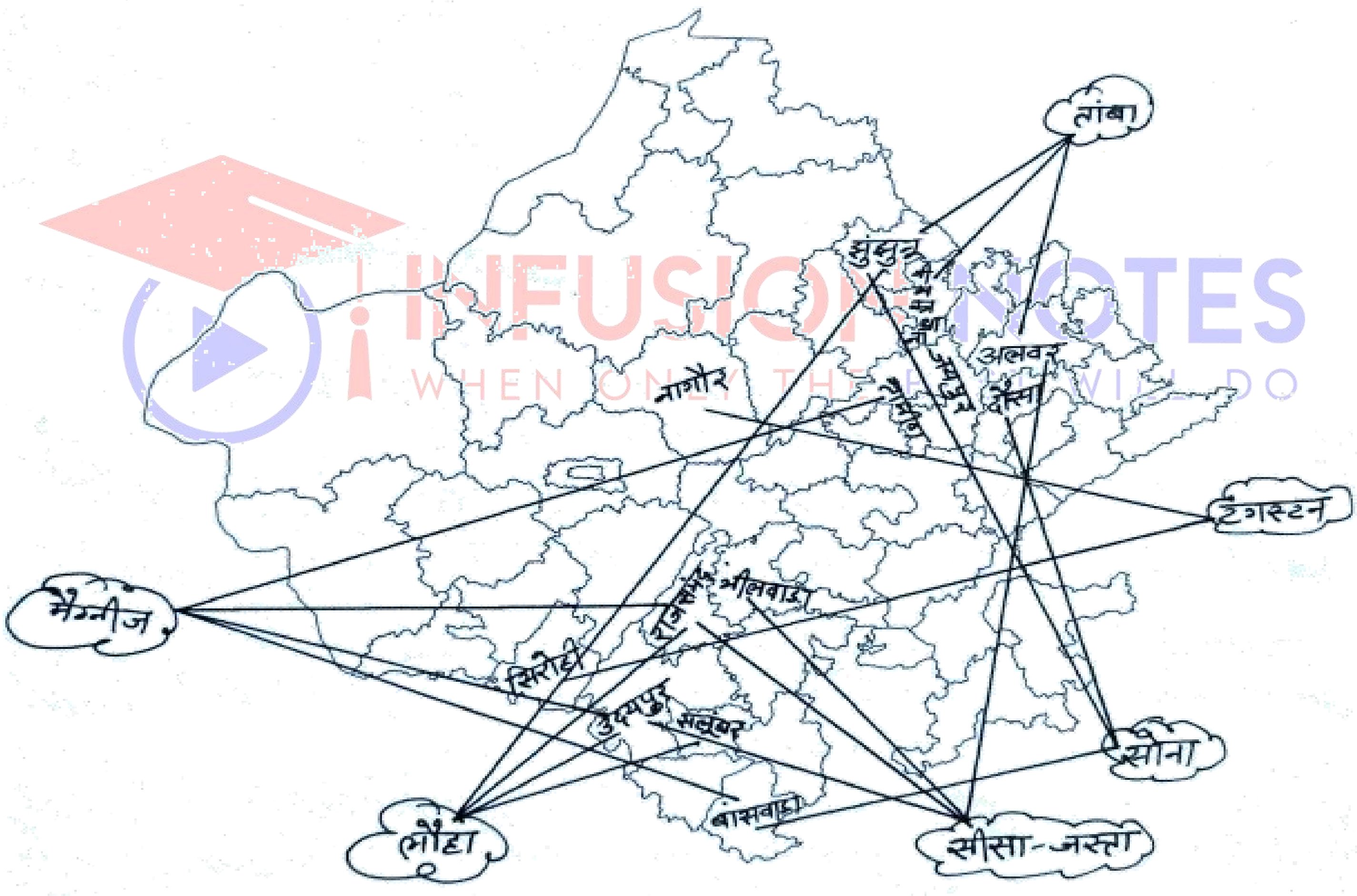

1. लोहा –राजस्थान में लोहा मुख्य रूप से अरावली के उत्तर - पूर्व एवं दक्षिण- पूर्व में पाया जाता है।

लौहा अयस्क चार प्रकार का होता है-

i. मैग्नेटाइट	-	74 %
ii. हेमेटाइट	-	65 %
iii. लिमोनाइट	-	50 %
iv. सिडेराइट	-	40%

राजस्थान में मुख्य रूप से लोहे का उत्पादन निम्न स्थानों पर होता है एवं राजस्थान में हेमेटाइट व लिमोनाइट लौह अयस्क पाया जाता है।

प्रमुख खान-

- मोरिजा- बानोल- सामोद, जयपुर ग्रामीण
- नीमला- राइसेला- लालसोट, दौसा
- सिंघाना- डाबला- झुंझुनूं
- नीम का थाना

8. जब भी किसी के घर, दफ्तर, प्रांगण आदि में तलाशी ली जाए तो यह आवश्यक है कि स्वतंत्र गवाहों यानी आम लोगों में से कोई दो व्यक्ति तलाशी के समय उपस्थित रहे।

अभ्यास प्रश्न

1. राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है ?

A. सरपंच
B. पटवारी
C. ग्राम विकास अधिकारी
D. कानूनगों **उत्तर (C)**

2. राजस्थान लोक सेवाओं प्रदान गांरटी एक्ट 2011 कब से लागू हुआ ?

A. 14 नवम्बर 2011
B. 14 अगस्त 2011
C. 4 अप्रैल 2009
D. 17 अक्टूबर 2011 **उत्तर (A)**

3. भारत का पहला राज्य जिसने लोक सेवा गांरटी कानून लागू किया गया ?

A. राजस्थान
B. मध्यप्रदेश
C. छत्तीसगढ़
D. आन्ध्रप्रदेश **उत्तर (B)**

4. जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नांकित में से किस अधिनियम को लागू करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है ?

A. लोकप्रशासन में पारदर्शिता अधिनियम
B. लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम
C. सुनवाई का अधिकार अधिनियम
D. सुशासन अधिनियम
उत्तर (C)

5. राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 कब लागू हुआ ?

A. 01 अगस्त, 2012
B. 01 मई, 2012
C. 01 अप्रैल, 2012
D. 01 दिसम्बर, 2012
उत्तर (A)

अध्याय – 14

महिला एवं बाल अपराध

विश्व में समय – समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है । इनमें भारत भी शामिल है । भारत में महिलाएँ सामाजिक रीति – रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं ।

इन अपराधों के निवारण में कमी एवं रोक हेतु विधान की आवश्कता थी । इसलिए समय – समय पर भारतीय संसद ने महिलाओं से संबंधित विधि का निर्माण किया है । भारतीय संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने करने के पूर्ण प्रयास किए गए हैं ।

हिंसा - किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचाने उद्देशों के लिए किये गए शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं।

अपराध - जान बूझ कर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) के अंतर्गत विधि द्वारा निर्धारित सजा दिया जाता हो ऐसे काम अपराध कहलाते हैं ।

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर यह कहना गलत नही होगा कि हिंसा और अपराध दोनों का एक - दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं । ऐसी कोई भी क्रिया - कलाप जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समूह, समुदाय, समाज की भावनाएँ और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यवस्थाओं में आवांछित प्रभाव पड़े, वे सभी हिंसा और अपराध के श्रेणी में रखें जायेंगे। अपराध को हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते है -

अपराध मनुष्य जाति के लिए जंगल में लगी आग की भांति होती है अगर इसे समय रहते नहीं रोका जाए तो यह भयंकर विध्वंस का रूप धारण कर मानव जाति पर एक प्रश्न खड़ा कर सकती है ।

महिला अपराधों से संबंधित अति महत्त्वपूर्ण विधि -

1. हिन्दू विधवा 'पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
3. भारतीय साक्ष्य, 1872 अधिनियम
4. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
5. 1882 संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण
6. रखवालों और वार्ड अधिनियम, 1890
7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
9. बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929
10. संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिलाओं के अधिकार, 1937
11. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936
12. मुस्लिम विवाह का विघटन, अधिनियम 1939
13. कारखाना अधिनियम, 1948

JSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

14. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
15. भारत का संविधान, 1950
16. खान अधिनियम, 1952
17. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
18. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
19. किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 1956
20. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
21. हिंदू को गोद देने और भरण - पोषण अधिनियम, 1956
22. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
23. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
24. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961-1965
25. विदेश विवाह अधिनियम, 1969
26. गर्भावस्था अधिनियम की मेडिकल टर्मिनेशन, 1971
27. दंड प्रक्रिया संहिता, अधिनियम 1973
28. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984
29. महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
30. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986
31. सती निवारण अधिनियम, 1987
32. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
33. जाति अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
34. महिला अधिनियम, के लिए राष्ट्रीय आयोग, 1990
35. मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993
36. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व Dignostic तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध), 1994 के कानून
37. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1996
38. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000
39. गर्भावस्था के विनियम के मेडिकल टर्मिनेशन, 2003
40. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
41. विधेयक के मसौदे "विवाह अधिनियम 2005 के अनिवार्य पंजीकरण"
42. वृद्धजन 'रख - रखाव, देख-भाल और संरक्षण विधेयक, 2005
43. महिलाओं का संरक्षण, अधिनियम 2005
44. घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
45. परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005
46. निषेध का बाल विवाह अधिनियम, 2006
47. रख- रखाव और माता-पिता के कल्याण और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007
48. राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1998
49. राजस्थान महिला विकास सेवा अधिनियम, 2008
50. घरेलू कामगार कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2010
51. 'ऑनर' के नाम में अपराधों की रोकथाम और परंपरा विधेयक, 2010
52. राजस्थान महिला (अत्याचार से रोकथाम और संरक्षण) का मसौदा विधेयक, 2011
53. कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) में महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013
54. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
55. राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

महिला संबंधित अपराध

विश्व भर में महिलाओं से संबंधित अपराध देखे जा सकते हैं। इनमें हमारा देश भी शामिल है। जिन्हें भारतीय समाज में भी देखा जाता है -

महिलाओं से संबंधित अपराधों की श्रेणी में उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन एवं भावनात्मक उत्पीड़न शोषण शामिल है। भारत में महिलाओं पर होने वाले अपराध चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, जिनमें छेड़छाड़ मार-पीट, अपहरण, दहेज उत्पीड़न से लेकर बलात्कार एवं मृत्यु तक के मामले शामिल हैं।

उपर्युक्त महिला संबंधित अपराधों को रोकने, उनसे निपटने तथा उन अपराधों से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित हैं: सर्वप्रथम वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान राज्य को यह अधिकार देता है, कि वह स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है।

भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी) 1860 एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। यह भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गए अपराधों के बारे में बताता है एवं उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 354 – A - यौन उत्पीड़न के लिए सजा, धारा 354 B. बल पूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना, धारा 354 C ताक - झाक करना, धारा 354 D पीछा करना एवं धारा 509 - शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है।

लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना (धारा - 372) अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए गए जाने के लिए उसको बेचता है या भाड़े पर देता, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्या या किसी व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेचता है, भाड़े पर देता है तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।

वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना (धारा 373) अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है,

10 वर्ष जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।

इस अधिनियम के अंदर दिए गए सभी अपराध संज्ञेय हैं।

इस अधिनियम के अंदर दिए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश के बिना, वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा व पुनर्वास) बिल, 2018 महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई, 2018 को लोकसभा में यह बिल पेश हुआ जो 26 जुलाई, 2018 को एक सदन में पारित हो गया। एक सदन में पारित इस बिल में सभी तरीकों से तस्करी की जांच करने के लिए और तस्करी पीड़ितों के बचाव, सुरक्षा पुनर्वास के नियम स्थापित करने का प्रावधान है।

बालकों से संबंधित अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 -16 के अनुसार भारत में बच्चों के प्रति होने वाले अपराध जैसे बाल श्रम, बाल व्यापार, अपहरण, शारीरिक - मानसिक हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार आदि के मामलों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये अपराध घर, स्कूलों, अनाथालयों, आवास गृहों, सड़क, कार्यस्थल, जेल, सुधार गृह आदि किसी जगह पर किसी के भी द्वारा हो सकते हैं। बालकों के साथ अपराध करने वाला, जान - पहचान से लेकर अनजान तक कोई भी हो सकता है।

बाल संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित हैं:-

बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना संज्ञेय अपराध है। इनके हित के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया है। श्रम मंत्रालय में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सीआईआरएम मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है और इसे मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) सीएलसी (सी) संगठन के नाम से भी जाना जाता है। सीआईआरएम के प्रमुख आयुक्त (केन्द्रीय) है। इसके अतिरिक्त मौजूदा विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड भी गठित किया गया है।

बाल श्रम के ऐसे केस जिसमें बच्चों के बंधुआ मजदूर के सामान स्थिति में पाए जाने पर बाल श्रम से संबंधित अपराधों में केस प्रकरण को और मजबूत करने के लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 को भी लगाया जाता है।

खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक नियोजित कराएँ जाने पर धारा - 14 के अंतर्गत दोषी नियोजक को कम से कम 3 माह एवं अधिकतम 1 वर्ष का कारावास तथा कम से कम रुपए 10,000 एवं अधिकतम रुपए 20,000 से जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार बच्चों को दो श्रेणियों में बांटा गया है :-

भारतीय संसद ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराने 18 वर्ष तक के किशोरों से खतरनाक क्षेत्रों में कार्य लेने के रोक के प्रावधान वाले बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) संशोधन विधेयक, 2016 को पारित किया था। एक ऐसा व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी की हो, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, ऐसे बालक को किसी भी खतरनाक जोखिम वाले व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए और खतरनाक कार्य करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए।

बाल श्रम से जुड़े अनुच्छेद

अनुच्छेद - 23: बालश्रम व मानव व्यापार का निषेध

अनुच्छेद - 21: खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति निषेध।

अनुच्छेद - 39: बालकों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होगी।

अनुच्छेद – 21 A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार

बच्चों से सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ

धारा - 82 इस धारा के अनुसार 7 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले बालक द्वारा कोई भी किया गया अपराध, अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। क्योंकि कि इस वर्ष तक के बच्चे की मानसिक क्षमता इतनी व्याप्त नहीं होती कि वह समझ पाए कि अपराध क्या होता है।

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यावरण संतुलन व परिवेश संतुलन बनाए रखना है तथा वनों की कटाई पर रोक लगाना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत मरु क्षेत्र के पूर्व में विस्तार पर रोक लगाना तथा अरावली व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में बसी जनजातियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है।
- राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार जैसलमेर जिले में तथा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्र राजसमंद जिले में विस्तृत है।

मरु विकास कार्यक्रम

- मरु विकास कार्यक्रम का शुभारंभ 1977-78 ई. में किया गया था। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा 1985 ई. से पूर्णतः वित्तीय रूप से संचालित है।
- भारत सरकार के द्वारा मरुस्थल के प्रसारण को रोकने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए।
- 1 अप्रैल, 1999 ई. से केन्द्र तथा राज्य सरकार का अंश 75:25 प्रतिशत का हो गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि तथा वानिकी का विकास, लघु सिंचाई सुविधाएं, भूमिगत जल का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि है।
- यह कार्यक्रम राज्य के 16 ज़िलों के 85 विकास खण्डों में संचालित है जो हैं - जैसलमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, चूरू, जालोर, झुंझुनूं, अजमेर, सिरोही, जयपुर, सीकर, राजसमंद एवं उदयपुर

सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (BADP):-

प्रारंभ :- सन् 1986-1987

सम्मलित क्षेत्र :- अंतराष्टीय सीमा पर राज्य के बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिलो के 13 विकास खंडो को सम्मलित किया गया

कार्यक्रम का उद्देश्य :- संसाधनो को विकसित करना व सुरक्षा व्यवस्था को कारगार बनाने के उद्देश्य से 7वीं पंचवर्षीय योजना मे प्रारंभन करना

इस योजना का वितपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है

यह कार्यक्रम केंद्र सरकार वर्ष 1993-94 से पुनः मोडीफाइड सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से प्रारंभ किया गया |

मरु प्रसार रोक योजना (CDP) :-

सम्मलित क्षेत्र :- राज्य के 10 मरुस्थलीय जिले बाडमेर, बीकानेर, चुरु, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, झुझँनु, नागौर , पाली एंव सीकर

वित पोषण :- मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पोषण किया जाता है

सुखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAD):-

सम्मलित क्षेत्र :- राज्य के 11 जिलो यथा बासँवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, झालावाड, कोटा, बाराँ, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, एंव भरतपुर के 32 विकास खंडो मे लागू

वित पोषण :- केंद्र सरकार के द्वारा 75 प्रतिशत व राज्य सरकार के द्वारा 25 प्रतिशत

जलग्रहण विकास कार्यक्रम

1995 में शुरु। राष्ट्रीय बंजर भूमि अद्यतनीकरण मिशन (N.W.U. M.) की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई।

मरुगोचर योजना

राजस्थान के **मरुस्थलीय जिलों** में पारम्परिक जल स्रोतों की बहाली तथा प्रभावी सूखा रक्षण के अन्य उपाय करने हेतु 2003-04 से राज्य के 10 जिलों में प्रारम्भ योजना।

राष्ट्रीय परती **भूमि विकास बोर्ड** ने परती भूमि को 13 वर्गों में विभाजित किया है।

- **राज्य में सर्वाधिक परती भूमि** :- चूरु जिला।
- **राज्य में न्यूनतम परती भूमि वाला जिला** :- भरतपुर।
- **लवणीय भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र** :- पाली में।
- **राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना** :- 1960 में।
- राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग का है।
- **राजस्थान में बंजर भूमि** :- 38.95 लाख हैक्टेयर (11.37%)

मरु विकास एवं बंजर भूमि कार्यक्रम

भौतिक दृष्टि से राजस्थान को **अरावली पर्वत श्रृंखला** ने दो भागों में विभक्त कर दिया है।

राजस्थान के **उत्तरी पश्चिमी भाग** में स्थित 13 जिलों में से **12 जिले मरुस्थलीय** हैं जिनका विस्तार **उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व** की ओर लगभग **640 किमी.** तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 300 किमी. भू-भाग पर है। इसका क्षेत्रफल लगभग **1,75,000 वर्ग किमी.** है जिसमें राज्य की लगभग **40% जनता** निवास करती है।

राज्य के **गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर तथा जालौर** इस मरु क्षेत्र में आते हैं। राजस्थान का **मरु प्रदेश** वर्षा की अल्प मात्रा के कारण प्रायः सूखा एवं अकाल से पीड़ित रहता है। धूल भरी आँधियों के फलस्वरूप स्थान-स्थान पर रेत के ऊँचे टीले अर्थात धोरे दिखाई देते हैं, जो अपने स्थान तेज हवाओं व आँधियों के कारण बदलते रहते हैं।

1962 के **भू-सर्वेक्षण के अनुसार वैज्ञानिकों** का मानना है कि यह मरु क्षेत्र **गंगा-सिंधु** के उपजाऊ मैदान का ही एक भाग है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही मरु प्रदेश को विकसित

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें – ⬇ (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 – https://shorturl.at/qBJl8 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 – https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

UP Police Constable 2024 – http://surl.li/rbfyn (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level – https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level – https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO – https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. – https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari – https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade – https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 – https://youtu.be/ZgzzfJyt6vl

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (Ist Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (Ist शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.-Biramganj, Dis.-Raisen, MP
N.A	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

N.A	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner
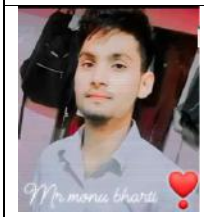	**MONU S/O KAMTA PRASAD**	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

N.A	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur
	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
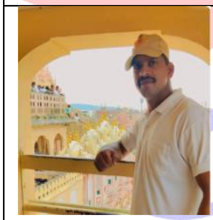	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.-Bhilwara
N.A	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379 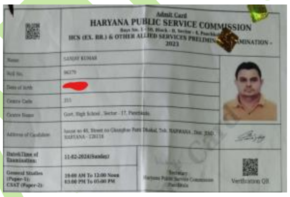	Jind (Haryana)

Admit Card
HARYANA PUBLIC SERVICE COMMISSION
HCS (EX. BR.) & OTHER ALLIED SERVICES PRELIMIN EXAMINATION - 2023

Name	SANJAY KUMAR
Roll No.	96379
Date of birth	[redacted]
Centre Name	Govt. High School , Sector - 17, Panchkula
Date&Time of Examination:	11-02-2024(Sunday)
General Studies (Paper-1):	10:00 AM To 12:00 Noon
CSAT (Paper-2):	03:00 PM To 05:00 PM

Secretary
Haryana Public Service Commission
Panchkula

Verification QR

And many others……

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/c37ssj

Online order करें – https://shorturl.at/mpOV7

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO